

अध्याय 2

वाणिज्य—कर

अध्याय 2 : वाणिज्य—कर

2.1 कर प्रशासन

राज्य में वाणिज्य—कर¹ का आरोपण एवं संग्रहण, निम्नलिखित अधिनियमों एवं उसके अन्तर्गत बने नियमावली के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं:

- केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956;
- केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017;
- बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017;
- एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017;
- बिहार मूल्यवद्वित कर अधिनियम, 2005;
- बिहार स्थानीय क्षेत्रों में मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993;
- बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948;
- बिहार होटलों में विलासिता पर करारोपण अधिनियम, 1988;
- बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948;
- बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर अधिनियम, 2011; एवं
- बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007।

वाणिज्य—कर विभाग का नेतृत्व सर्वोच्च स्तर पर प्रधान सचिव सह—वाणिज्य कर आयुक्त द्वारा किया जाता है। माल एवं सेवा कर काल के पूर्व, वाणिज्य—कर आयुक्त को उनके कार्यों के निर्वहन हेतु मुख्यालय स्तर पर अन्वेषण ब्यूरो सहित पाँच अपर आयुक्त, तीन वाणिज्य—कर संयुक्त आयुक्त, 10 वाणिज्य—कर उपायुक्त / वाणिज्य—कर सहायक आयुक्त एवं पाँच वाणिज्य—कर पदाधिकारी द्वारा सहायता किया जाता है। क्षेत्रीय स्तर पर राज्य को नौ² प्रशासनिक प्रमंडलों, नौ³ अपीलीय प्रमंडलों एवं नौ⁴ अंकेक्षण प्रमंडलों में विभाजित किया गया है तथा प्रत्येक के प्रधान, वाणिज्य—कर संयुक्त आयुक्त होते हैं। नौ प्रशासनिक प्रमंडलों को पुनः 50 अंचलों में विभाजित किया गया है, जिसके प्रधान वाणिज्य—कर उपायुक्त/वाणिज्य—कर सहायक आयुक्त होते हैं, जिनकी सहायता वाणिज्य—कर पदाधिकारी करते हैं। अंचल, विभाग के कार्यकलाप का मूल गतिविधि केन्द्र है। माल एवं सेवा कर लागू (01 जुलाई 2017 के प्रभाव से) होने के पश्चात् अधिकारियों का नामकरण बदल दिया गया जो कि कंडिका संख्या 2.3.2 में उल्लेखित है।

2.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2017–18 के दौरान लेखापरीक्षा ने वाणिज्य—कर विभाग के 60 इकाइयों में से 31 इकाइयों⁵ (52 प्रतिशत) का नमूना जाँच किया। वाणिज्य—कर विभाग ने वर्ष 2016–17 के दौरान ₹ 18,502.86 करोड़ राजस्व का संग्रहण किया जिसमें से लेखापरीक्षित इकाइयों ने ₹ 15,575.80 करोड़ (84 प्रतिशत) का संग्रहण किया था। नमूना जाँचित इकाइयों में कुल

¹ वाणिज्य—कर में बिक्री, व्यापार आदि पर कर, वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर, यात्रियों एवं वस्तुओं पर कर, विद्युत पर कर और शुल्क, आय एवं व्यय पर अन्य कर—पेशा, व्यापार, आजीविका एवं रोजगार पर कर तथा वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क शामिल हैं।

² भागलपुर, केन्द्रीय, दरभंगा, मगध, पटना पूर्वी, पटना पश्चिमी, पूर्णिया, सारण एवं तिरहुत।

³ भागलपुर, केन्द्रीय, दरभंगा, मगध, पटना पूर्वी, पटना पश्चिमी, पूर्णिया, सारण एवं तिरहुत।

⁴ भागलपुर, केन्द्रीय, दरभंगा, मगध, पटना पूर्वी, पटना पश्चिमी, पूर्णिया, सारण एवं तिरहुत।

⁵ वाणिज्य—कर आयुक्त का कार्यालय; **29 अंचल**—आरा, औरंगाबाद, बाढ़, बेगुसराय, छपरा, बिहारशरीफ, दानापुर, दरभंगा, गाँधी मैदान, गया, हाजीपुर, जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, मधेपुरा, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर पूर्व, मुजफ्फरपुर पश्चिम, पाटलिपुत्र, पटना मध्य, पटना उत्तर, पटना दक्षिण, पटना विशेष, पटना पश्चिम, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर और सासाराम; जाँच चौकी—डोभी।

1,80,313 निबंधित व्यवसायियों में से 3,534 व्यवसायियों का नमूना जाँच लेखापरीक्षा ने किया। इसके अतिरिक्त, जुलाई 2018 एवं जनवरी 2019 के मध्य ‘बिहार में माल एवं सेवा कर अधिनियम के संक्रमणकालीन प्रावधानों के कार्यान्वयन’ का लेखापरीक्षा भी किया गया। लेखापरीक्षा ने 1,962 मामलों में कुल ₹ 1,516.67 करोड़ की अनियमितताओं का पता लगाया, जैसाकि तालिका-2.1 में वर्णित है।

तालिका-2.1 लेखापरीक्षा का परिणाम (₹ करोड़ में)			
क्रम संख्या	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
क: बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/मूल्यवर्द्धित कर/केन्द्रीय माल एवं सेवा कर/राज्य माल एवं सेवा कर/एकीकृत माल एवं सेवा कर			
1.	बिहार में माल एवं सेवा कर अधिनियम के संक्रमणकालीन प्रावधानों के कार्यान्वयन	1	42.79
2.	आवर्त का छिपाव किया जाना	344	664.87
3.	कर का गलत दर लगाया जाना	53	27.89
4.	कर का आरोपण नहीं/कम किया जाना	22	27.36
5.	इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक अनुमति दिया जाना	128	33.92
6.	कर से छूट की अनियमित अनुमति दिया जाना	63	103.58
7.	केन्द्रीय बिक्री कर का अवनिर्धारण	19	48.44
8.	अतिरिक्त कर एवं अधिभार का आरोपण नहीं/कम किया जाना	32	167.70
9.	आवर्त का गलत निर्धारण के कारण कम आरोपण	11	12.33
10.	मूल्यवर्द्धित कर से प्रवेश कर का गलत/अनियमित समायोजन	87	26.65
11.	कर का भुगतान नहीं/कम किया जाना	361	76.79
12.	अन्य मामले	603	76.30
कुल		1,724	1,308.62
ख: प्रवेश कर			
1.	आयात मूल्य के छिपाव के कारण प्रवेश कर का कम आरोपण	87	142.78
2.	प्रवेश कर का गलत दर लगाया जाना	16	12.30
3.	अन्य मामले	118	35.28
कुल		221	190.36
ग: विद्युत शुल्क			
1.	विद्युत शुल्क का आरोपण नहीं/कम किया जाना	1	16.64
2.	अधिभार का आरोपण नहीं/कम किया जाना	1	0.68
कुल		2	17.32
घ: मनोरंजन/विलासिता कर			
1.	मनोरंजन कर का आरोपण नहीं/कम किया जाना	03	0.02
2.	अन्य मामले	12	0.35
कुल		15	0.37
कुल योग		1,962	1,516.67

विभाग ने अप्रैल 2017 एवं जुलाई 2019 के बीच 458 मामलों में ₹ 130.50 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया। इनमें से ₹ 34.36 करोड़ के 55 मामले 2017–18 के दौरान तथा शेष मामले पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान इंगित किए गए थे। पुनः, विभाग ने (अप्रैल 2017 एवं जुलाई 2019 के बीच) 113 मामलों में ₹ 29.12 करोड़ का वसूली किया जिनमें से ₹ 23.52 करोड़ के मामले 2017–18 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे। 2017–18 के शेष एवं पूर्ववर्ती वर्षों के मामलों के उत्तर प्रतीक्षित हैं (सितम्बर 2019)।

‘बिहार में माल एवं सेवा कर अधिनियम के संक्रमणकालीन प्रावधानों के कार्यान्वयन’ की लेखापरीक्षा एवं कुछ अन्य लेखापरीक्षा अवलोकन जिनमें ₹ 115.39 करोड़ के कर प्रभाव सन्त्रिहित हैं, निम्नलिखित कंडिकाओं में वर्णित हैं :

2.3 बिहार में माल एवं सेवा कर अधिनियम के संक्रमणकालीन प्रावधानों के कार्यान्वयन पर लेखापरीक्षा

2.3.1 परिचय

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को भारत के साथ-साथ बिहार राज्य में 1 जुलाई 2017 से विभिन्न केंद्रीय और राज्य अप्रत्यक्ष करों⁶ को शामिल करते हुये लागू किया गया था। किसी भी नई कर व्यवस्था के सफल कार्यान्वयन के लिए निर्बाध संक्रमणकालीन प्रावधानों का होना आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नई कर व्यवस्था मौजूदा करदाताओं को आरंभ में नुकसान न पहुँचाए। नई कर व्यवस्था के बारे में करदाताओं के बीच विश्वास जगाने और यह सुनिश्चित करने कि व्यापार करने की आसानी प्रभावित न हो, के लिए भी यह आवश्यक है।

इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, बिहार जीएसटी अधिनियम की धारा 139 से 142 तथा इनके अधीन बनाए गये नियमावली के तहत संक्रमणकालीन प्रावधान बनाए गए। करदाताओं का प्रब्रजन और मौजूदा अधिनियमों से जीएसटी में योग्य अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को अग्रेषित करना दो प्रमुख संक्रमणकालीन मुद्दे थे। जीएसटी नेटवर्क में मौजूदा करदाताओं के प्रब्रजन की प्रक्रिया 8 नवंबर, 2016 से एक वेबसाइट (www.gst.gov.in) शुरू करके आरंभ की गई थी, जिसने जीएसटी में प्रब्रजन/निबंधन के प्रथम चरण के रूप में विभिन्न राज्यों में अवस्थित करदाताओं को अपनी सूचनाओं और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों को अद्यतन करने में सक्षम बनाया।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि मौजूदा अधिनियमों में इनपुट पर व्यवसायियों द्वारा वहन/भुगतान किए गए कर बेकार नहीं जाए, पात्र व्यवसायियों द्वारा जीएसटी शासन प्रणाली में इनपुट करों के अप्रयुक्त क्रेडिट के ऐसे शेष को आगे बढ़ाने का प्रावधान सेन्ट्रल जीएसटी/बिहार जीएसटी अधिनियमों और नियमावलियों में जीएसटी ट्रान⁷ -1 और जीएसटी ट्रान-2 के द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबंधों के साथ दावा करने का प्रावधान किया गया। पूर्वकाल में सेनेट के तहत भुगतान किए गए करों के क्रेडिट का दावा सेन्ट्रल जीएसटी के रूप में किया जाना था और पूर्वकाल में मूल्यवर्द्धित कर/प्रवेश कर के तहत भुगतान किए गए करों के क्रेडिट का दावा स्टेट जीएसटी के रूप में किया जाना था।

2.3.2 संगठनात्मक ढाँचा

जीएसटी के पूर्व और जीएसटी अवधि के तहत विभाग का संगठनात्मक ढाँचा तालिका-2.2 में नीचे दिया गया है।

तालिका-2.2

जीएसटी के पूर्व की अवधि	जीएसटी की अवधि
<ul style="list-style-type: none"> शीर्ष स्तर पर, वाणिज्य कर विभाग का नेतृत्व वाणिज्य कर आयुक्त के द्वारा किया जाता था, जिनकी सहायता अपर आयुक्त, वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर उपायुक्त/सहायक आयुक्त और वाणिज्य कर अधिकारी द्वारा की जाती थी। 	<ul style="list-style-type: none"> शीर्ष स्तर पर, वाणिज्य कर विभाग का नेतृत्व राज्य कर आयुक्त द्वारा किया जाता है, जिनकी सहायता राज्य कर विशेष आयुक्त, राज्य कर अपर आयुक्त, राज्य कर संयुक्त आयुक्त और राज्य कर उपायुक्त/राज्य कर सहायक आयुक्त द्वारा की जाती है।

⁶ केंद्रीय कर— उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी), विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी), केंद्रीय उपकर और अधिभार।

राज्य कर— पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, प्राकृतिक गैस, विमानन टरबाईन ईंधन और मानव उपभोग के लिए मादक शराब को छोड़कर मूल्यवर्द्धित कर, केंद्रीय बिक्री कर (जीएसटी), मनोरंजन कर, विलासिता कर, विज्ञापन कर, लॉटरी पर कर, बेटिंग, गैम्बलिंग, प्रवेश कर एवं क्रय कर।

⁷ जीएसटी ट्रान-1 और ट्रान-2 मौजूदा अधिनियमों (वैट/प्रवेश कर) के 30.06.2017 के शेष आईटीसी को जीएसटी अवधि में दावा/अग्रेषित करने के लिए जीएसटी के तहत निर्धारित घोषणा/प्रपत्र है।

जीएसटी के पूर्व की अवधि	जीएसटी की अवधि
<ul style="list-style-type: none"> क्षेत्रीय स्तर पर, राज्य को नौ प्रशासनिक प्रमंडलों, नौ अपील प्रमंडलों और नौ अंकेक्षण प्रमंडलों में विभाजित किया गया था, प्रत्येक का नेतृत्व वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त करते थे। नौ प्रशासनिक प्रमंडलों को आगे 50 अंचलों में उप-विभाजित किया गया था, प्रत्येक का नेतृत्व वाणिज्य कर अधिकारी की सहायता से वाणिज्य कर उपायुक्त/सहायक आयुक्त के द्वारा किया जाता था। अंचल, विभाग का मूल गतिविधि केंद्र था जहाँ कर निर्धारण/संवीक्षा कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किया जाता था। 	<ul style="list-style-type: none"> क्षेत्रीय स्तर पर, राज्य को नौ प्रशासनिक प्रमंडलों, नौ अपील प्रमंडलों और नौ अंकेक्षण प्रमंडलों में विभाजित किया गया है, जैसाकि वे वैट अवधि में थे, प्रत्येक का नेतृत्व राज्य कर अपर आयुक्त द्वारा किया जाता है। नौ प्रशासनिक प्रमंडलों को आगे 50 अंचलों में उप-विभाजित किया गया है, प्रत्येक का नेतृत्व राज्य कर सहायक आयुक्तों की सहायता से राज्य कर संयुक्त आयुक्त/राज्य कर उपायुक्त द्वारा किया जाता है। जीएसटी अवधि में भी अंचल, विभाग का मूल गतिविधि केंद्र है, जहाँ निबंधन, कर निर्धारण/संवीक्षा आदि कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किया जाता है।

जैसा कि उपरोक्त विवरणों से स्पष्ट है, जीएसटी के लागू होने के बाद विभाग के संगठनात्मक ढाँचे में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं लाया गया जिसकी चर्चा इस प्रतिवेदन के कंडिका संख्या 2.3.9 में की गई है।

2.3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का आयोजन निम्नलिखित जाँच करने के उद्देश्य से की गई:

- जीएसटी के तहत करदाताओं के प्रवर्जन और संक्रमणकालीन आईटीसी का लाभ उठाने के संबंध में नियमों, प्रावधानों, अधिसूचनाओं की पर्याप्तता और प्रभावशीलता।
- कर प्राधिकारियों द्वारा मौजूदा प्रावधानों का अनुपालन और करदाताओं द्वारा अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए स्थापित प्रणाली की प्रभावोत्पादकता।
- जीएसटी के संक्रमणकालीन प्रावधानों के संबंध में आंतरिक नियंत्रण तंत्र की पर्याप्तता।

2.3.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किए गए हैं:

- बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम और नियमावली, 2005
- केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम और नियमावली, 2017
- बिहार माल और सेवा कर अधिनियम और नियमावली, 2017
- एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम और नियमावली, 2017
- समय-समय पर जारी किए गए कार्यकारी और विभागीय आदेश और निर्देश।

2.3.5 क्षेत्र एवं कार्यपद्धति

प्रवर्जन:

माल एवं सेवा कर में व्यवसायियों के प्रवर्जन के संबंध में लेखापरीक्षा का आयोजन जुलाई 2018 और जनवरी 2019 के बीच संक्रमणकालीन अवधि (2016–17 और 2017–18) को आवृत्त करते हुये संपन्न किया गया। लेखापरीक्षा ने वाणिज्य कर विभाग द्वारा प्रदान किये गये बिहार में मौजूदा अधिनियम के करदाताओं, जीएसटी शासन में औपबंधिक रूप से प्रवर्जित व्यवसायियों, मौजूदा करदाताओं जिन्होंने जीएसटी शासन-प्रणाली में प्रवर्जन किया, नए करदाताओं जिन्होंने जीएसटी शासन के तहत स्वयं को निबंधित कराया, प्रवर्जित व्यवसायियों के अधिकार क्षेत्र का विभाजन, मौजूदा अधिनियमों के तहत करदाताओं का 2016–17 और 2017–18 (पहली तिमाही) से संबंधित सकल आवर्त प्रतिवेदन और करदाताओं के वीआर-1 (निबंधन रजिस्टर) से संबंधित डाटाबेसों का जाँच किया।

लेखापरीक्षा अवलोकन की पुष्टि करने के लिए, राज्य के सभी नौ प्रमंडलों को आच्छादित करने हेतु यादृच्छिक रूप से चयनित 17 अंचलों⁸ में भी लेखापरीक्षा किया गया और लेखापरीक्षा आपत्तियों पर अंचल प्रभारी से जवाब प्राप्त किया गया।

संक्रमणकालीन आईटीसी:

लेखापरीक्षा का आयोजन, जीएसटी के पूर्व की अवधि (01-04-2016 से 30-06-2017) और जीएसटी अवधि (01-07-2017 से 31-03-2018) को आच्छादित करते हुये अगस्त 2018 से अक्टूबर 2018 के बीच किया गया। राज्य कर आयुक्त का कार्यालय और राज्य के 50 में से 49⁹ अंचलों के अभिलेखों को लेखापरीक्षा जाँच के लिए चयन किया गया।

राज्य में द्रान-1 के माध्यम से स्टेट जीएसटी के तहत 1,944 व्यवसायियों द्वारा किए गए ₹ 130.05 करोड़ के संक्रमणकालीन आईटीसी के कुल दावों में से लेखापरीक्षा ने 45 अंचलों में निबंधित 484 व्यवसायियों¹⁰ के (25 प्रतिशत), जिन्होंने ₹ 10.00 लाख और उससे अधिक (सेन्ट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी को मिलाकर) के संक्रमणकालीन आईटीसी का दावा किया था, अभिलेखों का जाँच किया। इस प्रकार, लेखापरीक्षा ने ₹ 110.28 करोड़ के संक्रमणकालीन आईटीसी दावों का जाँच किया जो कुल संक्रमणकालीन आईटीसी दावों का 85 प्रतिशत है।

राज्य कर आयुक्त के साथ 4 सितंबर 2018 को एक आरंभिक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा के कार्यप्रणाली को समझाया गया। अंतिम सम्मेलन 7 फरवरी 2019 को वाणिज्य कर विभाग के अपर सचिव के साथ आयोजित किया गया। विभाग के जवाबों को प्रासंगिक कंडिकाओं में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

2.3.6 स्वीकृति

आवश्यक सूचना और अभिलेख प्रदान करने में वाणिज्य कर विभाग के सहयोग को लेखापरीक्षा स्वीकार करता है।

2.3.7 करदाताओं का प्रव्रजन और निबंधन

(क) व्यवसायी का प्रव्रजन

जो व्यवसायी बिहार वैट अधिनियम, 2005 के तहत निबंधित थे, उन्हें बिहार जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 139 के तहत औपबंधिक रूप से निबंधित होना आवश्यक था, यदि उनके पास वैध स्थायी खाता संख्या है। बिहार जीएसटी अधिनियम, 2017 के अंतर्गत, विभाग द्वारा सभी आवश्यक सूचना एवं दस्तावेजों के सत्यापन करने के पश्चात प्रत्येक व्यवसायी को निबंधन प्रमाण पत्र जारी किया जाना था।

अधिकांश व्यवसायियों ने 01.07.2017 से पूर्व प्रव्रजन पूर्ण कर लिया था। हालाँकि, इस अवधि के दौरान (प्रव्रजन की शुरुआत—नवंबर 2016) विभाग को बैकएण्ड में उपलब्ध दस्तावेजों की जाँच करने और सत्यापित करने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। 31 जनवरी 2019 तक, केवल 74.74 प्रतिशत मौजूदा व्यवसायी (2,35,563 में से 1,76,070) ही जीएसटी के तहत प्रव्रजित और निबंधित हुए थे।

⁸ बेगुसराय, बेतिया, भागलपुर, दानापुर, दरभंगा, गांधी मैदान, गया, मुजफ्फरपुर पूर्व, मुजफ्फरपुर पश्चिम, पाटलिपुत्र, पटना मध्य, पटना सिटी पूर्व, पटना सिटी पश्चिम, पटना विशेष, पटना उत्तर, पूर्णिया और सासाराम।

⁹ औरंगाबाद, बाढ़, बगहा, बेगुसराय, बेतिया, भमुआ, भागलपुर, बिहारशरीफ, बक्सर, दानापुर, दरभंगा, फारबिसगंज, गांधी मैदान, गया, गोपालगंज, हाजीपुर, जमुई, जहानाबाद, झंझारपुर, कदमकुआं, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर पूर्व, मुजफ्फरपुर पश्चिम, नवादा, पाटलिपुत्र, पटना मध्य, पटना सिटी पूर्व, पटना सिटी पश्चिम, पटना उत्तर, पटना दक्षिण, पटना विशेष, पटना पश्चिम, पूर्णिया, रक्सौल, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, सासाराम, शाहाबाद, सीतामढ़ी, सिवान और तेघड़ा।

¹⁰ इसमें कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा सत्यापित 25 व्यवसायियों के मामले शामिल हैं।

विभाग में उन प्रवर्जित व्यवसायियों के औपबंधिक प्रवर्जन और अंतिम निबंधन की स्थिति तालिका 2.3 में वर्णित है।

तालिका 2.3

31 जनवरी 2019 तक व्यवसायियों के निबंधन की स्थिति

जीएसटी-पूर्व अधिनियमों के तहत निबंधित व्यवसायियों की कुल संख्या (30.06.2017 को)	जीएसटी में औपबंधिक रूप से प्रवर्जित किए गए व्यवसायियों की कुल संख्या (कॉलम 1 के संबंध में प्रतिशतता)	जीएसटी में अंतिम रूप से प्रवर्जित व्यवसायियों की कुल संख्या (31.01.2019 को) (कॉलम 1 के संबंध में प्रतिशतता)	मौजूदा व्यवसायियों की कुल संख्या जिन्होंने प्रवर्जन के बजाय नया निबंधन लिया (कॉलम 1 के संबंध में प्रतिशतता)	जीएसटी के तहत निबंधन लेने वाले मौजूदा व्यवसायियों की कुल संख्या (कॉलम 1 के संबंध में प्रतिशतता)
2,35,563	2,26,517 (96.16 प्रतिशत)	1,63,324 (69.33 प्रतिशत)	12,746 (5.41 प्रतिशत)	1,76,070 (74.74 प्रतिशत)

(स्रोत: वाणिज्य कर विभाग द्वारा दी गई जानकारी)

ऊपर दी गई तालिका यह इंगित करता है कि मौजूदा व्यवसायियों में से लगभग 25 प्रतिशत जीएसटी में प्रवर्जित नहीं हुये।

- केंद्र और राज्य के बीच करदाताओं का आवंटन

केंद्र और बिहार के बीच प्रवर्जित करदाताओं का आवंटन जीएसटी काउंसिल द्वारा दिनांक 20 सितंबर 2017 को जारी परिपत्र के अनुसार किया जाना था। करदाताओं के आवंटन के लिए जीएसटी काउंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्ड निम्नानुसार थे:

- ₹ 1.50 करोड़ से कम आवर्त्त वाले करदाताओं की कुल संख्या का, 90 प्रतिशत करदाताओं का सभी प्रशासनिक नियंत्रण राज्य कर प्रशासन के पास और 10 प्रतिशत केंद्रीय कर प्रशासन के पास होगा;
- ₹ 1.50 करोड़ से अधिक आवर्त्त वाले करदाताओं के संबंध में, सभी प्रशासनिक नियंत्रणों को केंद्र और राज्य कर प्रशासन के बीच 50 प्रतिशत के अनुपात में समान रूप से विभाजित किया जाएगा; तथा
- प्रत्येक राज्य में करदाताओं का विभाजन राज्य स्तर पर कंप्यूटर द्वारा स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण के आधार पर किया जाएगा और पारस्परिक रूप से सहमत होने पर करदाताओं के भौगोलिक स्थान और प्रकार को भी ध्यान में रखा जा सकता है।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अनुसार, केंद्र और बिहार के बीच करदाताओं का आवंटन 18.10.2017 तक पूरा करना था। हालाँकि, यह दिसंबर 2017 और सितंबर 2018 में, दो चरणों में किया गया, जैसा कि तालिका 2.4 में दिया गया है:

तालिका 2.4

करदाताओं का आवंटन

	₹ 1.50 करोड़ से ऊपर आवर्त्त		₹ 1.50 करोड़ से नीचे आवर्त्त		कुल
	प्रथम चरण	द्वितीय चरण	प्रथम चरण	द्वितीय चरण	
राज्य	8,530	614	1,22,914	16,686	1,48,744
केन्द्र	8,531	613	13,658	1,853	24,655
कुल	17,061	1,227	1,36,572	18,539	1,73,399

(स्रोत: वाणिज्य कर विभाग द्वारा दी गई जानकारी)

(ख) नए करदाताओं का निबंधन

10 सितंबर 2018 तक जीएसटी के तहत व्यवसायियों के नए निबंधन की स्थिति तालिका 2.5 में वर्णित है:

तालिका 2.5: जीएसटी के तहत नया निबंधन

नए व्यवसायियों का निबंधन	मौजूदा व्यवसायियों का प्रवर्जन के बजाय निबंधन	नए निबंधन की कुल संख्या	राज्य को आवंटित व्यवसायियों की संख्या	केंद्र को आवंटित व्यवसायियों की संख्या
1,84,115	12,746	1,96,861	96,899	99,962

(स्रोत: वाणिज्य कर विभाग द्वारा दी गई जानकारी)

2.3.8 विभाग द्वारा आईटी संबंधी तैयारी और क्षमता निर्माण के प्रयास

जीएसटीएन को करदाताओं को निबंधन, कर का भुगतान और रिटर्न दाखिल करने के लिए तीन फ्रंट-एंड सेवाएं प्रदान करना था। चूंकि बिहार ने जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए मॉडल-II का विकल्प चुना था, अतः जीएसटी प्रशासन के लिए निबंधन अनुमोदन, टैक्सपेयर डिटेल व्यूअर, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग प्रोसेसिंग, रिफंड प्रोसेसिंग, मैनेजमेंट इन्फोर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट आदि जैसे बैक-एंड एप्लिकेशन जीएसटीएन द्वारा विकसित किए जा रहे थे।

जैसा कि वाणिज्य कर विभाग द्वारा सूचित किया गया कि राज्य में 305 स्थानों पर जनवरी 2017 और मई 2017 से अक्टूबर 2018 तक चार्टर्ड अकाउंटेंट सहित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों, करदाताओं, अधिवक्ताओं, लेखाकारों, आम जनता जैसे हितधारकों के लिए 2,358 आउटरीच कार्यक्रम एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था। उपरोक्त सभी आउटरीच कार्यक्रमों में कुल 72,741 प्रतिभागियों ने भाग लिया। वाणिज्य कर विभाग में करदाताओं के समस्याओं/प्रश्नों को सुनने के लिए तीन शिफ्टों में 24 x 7 कार्य करने वाला समर्पित हेल्पडेस्क एक केंद्रीकृत कॉल सेंटर है।

लेखापरीक्षा ने पाया गया कि वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त रैंक के 10 अधिकारियों को नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स, एक्साइज एंड नारकोटिक्स (एनएसीईएन), फरीदाबाद (जुलाई 2015) द्वारा जीएसटी में मास्टर प्रशिक्षक के लिए प्रशिक्षण दिया गया, 19 अधिकारियों (वाणिज्य कर अधिकारी के स्तर तक) को जीएसटी के प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षित किया गया (सितंबर 2016), इंफोसिस परिसर, चेन्नई, तमिलनाडु में पाँच चरणों (फरवरी 2017) में वाणिज्य कर अधिकारी के स्तर तक के वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों के लिए, 50 मास्टर प्रशिक्षकों को जीएसटी पोर्टल पर आईटी प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था।

उपरोक्त के अतिरिक्त, अप्रैल 2017 और सितंबर 2018 के बीच वाणिज्य कर अधिकारी/राज्य कर सहायक आयुक्त के स्तर तक के अधिकारियों को भी प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जैसा कि **तालिका 2.6** में वर्णित है:

तालिका 2.6 जीएसटी पर प्रशिक्षण

क्रम सं.	प्रशिक्षण का नाम	प्रतिभागियों की संख्या
1.	जीएसटी पर प्रशिक्षण	346
2.	जीएसटी पोर्टल प्रशिक्षण	323
3.	जीएसटी में कार्यशाला	298
4.	मास्टर प्रशिक्षकों के लिए ओरिएंटेशन ट्रेनिंग	38
5.	व्यक्तिगत प्रशिक्षण	137
6.	ई-वे बिल पर मास्टर प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण	143
7.	ई-वे बिल पर प्रशिक्षण	161
8.	जीएसटी पोर्टल पर नई कार्यक्रमताओं पर प्रशिक्षण	132
9.	खोज और जब्ती पर प्रशिक्षण	132
10.	टीडीएस पर प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण	74

इसके अतिरिक्त, सहायकों और डाटा इन्ट्री ऑपरेटर जैसे 691 अन्य कर्मचारियों को भी जीएसटी पोर्टल का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

वाणिज्य कर विभाग ने अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के लिए हार्डवेयर की आवश्यकता का आकलन किया और उस आकलन के आधार पर, विभाग ने 580 डेस्कटॉप, 495 प्रिंटर का क्रय किया। इन हार्डवेयर्स के अलावा, सभी अधिकारियों को विभाग के आईटी बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने के लिए सरकारी लैपटॉप प्रदान किए गए थे।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.3.9 संगठनात्मक ढाँचा और कार्यरत बल की स्थिति

जीएसटी लागू होने के बाद व्यवसायियों की संख्या में 53 प्रतिशत की वृद्धि तथा कम्प्यूटरीकृत वातावरण में काम के अतिरेक के आलोक में विभाग ने कार्यभार के साथ-साथ विभाग के स्वीकृत बल का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया।

जीएसटी एक व्यापक कर सुधार है जो वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर कर संग्रह करने के लिए व्यापक कर आधार के साथ एक नई कर व्यवस्था लाने की परिकल्पना करता है। जीएसटी कार्यान्वयन के पश्चात व्यापार करने में आसानी सहित जीएसटी के वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नई कर विधियों की आवश्यकता के अनुसार नियमों और प्रक्रियाओं के नए समूह को डिजाइन करने और लागू करने के अलावा, संगठनात्मक ढाँचा के साथ-साथ विभाग के स्वीकृत बल के पुनर्मूल्यांकन की भी आवश्यकता थी।

विभाग के अभिलेखों की जाँच करने पर लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

- जीएसटी के तहत संगठन की पुनः संरचना का आकलन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में एक अपर आयुक्त और सदस्य के रूप में चार वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त को शामिल करते हुए एक समिति का गठन किया गया (अप्रैल 2017)। समिति की सिफारिशों (जुलाई 2017) के अनुसार, विभाग ने वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों के नामकरण को बदल दिया। हालाँकि, अन्य सिफारिशों को, जैसे कि अपीलीय कार्यालयों में वृद्धि, दो कॉरपोरेट अंचलों के लिए दो अलग-अलग अपीलीय कार्यालयों का गठन, मौजूदा बड़े अंचलों को फिर से पुनर्गठित करके नए अंचलों का गठन करना आदि, विभाग द्वारा बिना कोई कारण बताए, स्वीकार नहीं किया गया। जवाब में, विभाग ने कोई विशिष्ट टिप्पणी नहीं किया।

- लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि विभाग में राज्य कर उपायुक्त/राज्य कर सहायक आयुक्त संवर्गी में इन पदों की स्वीकृत संख्या क्रमशः 201 और 403 (अगस्त 2018 तक) के विरुद्ध 70 प्रतिशत की कमी थी। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद, विभाग ने बताया (फरवरी 2019) कि 83 नए राज्य कर सहायक आयुक्त की भर्ती की गई है और जल्द ही 73 राज्य कर सहायक आयुक्त के कार्यग्रहण करने की उम्मीद है। हालाँकि जीएसटी लागू होने के 17 महीने बाद नई भर्तियां हुई हैं, लेकिन अभी भी राज्य कर सहायक आयुक्त के 49 प्रतिशत पद खाली हैं।

जीएसटी लागू होने के बाद व्यवसायियों की संख्या में 53 प्रतिशत की वृद्धि तथा कम्प्यूटरीकृत वातावरण में काम के अतिरेक के आलोक में विभाग ने कार्यभार के साथ-साथ विभाग के स्वीकृत बल का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया।

- बिहार जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 109 के अनुसार, माल और सेवा कर न्यायाधिकरण की स्थापना की जानी थी और राज्य में स्थित राज्य पीठ और क्षेत्र पीठों के अधिकार क्षेत्र सेन्ट्रल जीएसटी अधिनियम की धारा 109 या इसके तहत बनाए गए नियमावली के अनुसार होना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उपरोक्त अपीलीय न्यायाधिकरण के तहत राज्य पीठ और क्षेत्र पीठों का गठन नहीं किया गया (फरवरी 2019)। इस तरह की पीठों का गठन नहीं होने के कारण, किसी

असंतुष्ट व्यवसायी द्वारा कोई द्वितीय अपील, यदि कोई हो, जिसमें उसका संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट को कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया हो, नहीं किया जा सकता है।

अनुशंसा:- विभाग को करदाता आधार में वृद्धि के साथ-साथ जीएसटी के अंतर्गत स्वचालन आने के बाद राजस्व हित में कार्यभार का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए।

2.3.10 मौजूदा अधिनियम से जीएसटी में व्यवसायियों का प्रवर्जन

बिहार जीएसटी अधिनियम की धारा 139 (1) और बिहार जीएसटी नियमावली के नियम 24 के अनुसार वैध स्थायी खाता संख्या वाले सभी मौजूदा करदाताओं को औपबंधिक निबंधन प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक था। प्रत्येक व्यक्ति को, जिसे औपबंधिक निबंधन मिला हो, अंतिम निबंधन प्राप्त करने के लिए निर्दिष्ट सूचना और दस्तावेजों के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक था। यदि सक्षम अधिकारी द्वारा आवेदन में दी गई जानकारी और विवरण सही और पूर्ण पाए जाते हैं, तो निबंधित व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से निबंधन का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। किसी मामले में या तो जानकारी नहीं दी गई है या सही या पूर्ण नहीं पाया गया उस स्थिति में सक्षम अधिकारी, औपबंधिक निबंधन को रद्द कर देगा। यदि आवेदक को सूचना/दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर निबंधन का कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है और इस अवधि के भीतर कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, तो निबंधन प्रदान की गई मानी जाएगी।

बिहार जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 22 (1) के अनुसार, प्रत्येक आपूर्तिकर्ता, यदि उसका वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त्त ₹ 20 लाख से अधिक हो तो उसे इस अधिनियम के तहत राज्य में निबंधित होने की आवश्यकता होती है, जहाँ से वह माल या सेवाओं या दोनों का कर योग्य आपूर्ति करता है। उपरोक्त अधिनियम की धारा 63 यह प्रावधित करता है कि यदि कर योग्य व्यक्ति निबंधन प्राप्त करने में विफल रहता है, तो सक्षम अधिकारी ऐसे कर योग्य व्यक्ति की कर देयता का निर्धारण अपने सर्वोत्तम न्याय-निर्णय के आधार पर करने के लिए कार्यवाही कर सकता है।

2.3.10.1 योग्य व्यवसायियों का जीएसटी के तहत गैर-प्रवर्जन

2016–17 के दौरान 20 लाख या उससे अधिक और 2017–18 की पहली तिमाही के दौरान पाँच लाख या उससे अधिक का आवर्त्त रखने वाले वाले 726 मौजूदा व्यवसायियों ने जीएसटी में प्रवर्जन नहीं किया। वाणिज्य कर विभाग ऐसे 726 योग्य व्यवसायियों के गैर-प्रवर्जन का पता नहीं लगा सका।

लेखापरीक्षा ने करदाताओं के मौजूदा, प्रवर्जित और नए निबंधन के आंकड़ों की जाँच में पाया कि 59,493 मौजूदा करदाता न तो प्रवर्जित हुये और न ही जीएसटी के तहत नया निबंधन लिया। वैटमिस पर उपलब्ध सकल आवर्त्त प्रतिवेदन के साथ प्रवर्जित करदाताओं और नए निबंधनों के डाटाबेस का मिलान करने पर लेखापरीक्षा ने पाया गया कि 2016–17 में ₹ 20 लाख और 2017–18 की पहली तिमाही में ₹ पाँच लाख से अधिक का सकल कारोबार करने वाले 726 करदाता जीएसटी के तहत प्रवर्जित/निबंधित नहीं हुए थे (फरवरी 2019)। कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने इन 726 व्यवसायियों के गैर-प्रवर्जन का पता नहीं लगाया, जो इंगित करता है कि वे मूल्यवर्द्धित कर रिटर्न के साथ जीएसटी के तहत निबंधन/प्रवर्जन डाटाबेस का तिर्यक-सत्यापन और संबद्ध करने में विफल रहे।

इन 726 करदाताओं ने 2017–18 की पहली तिमाही में ₹ 44.46 करोड़ का भुगतान किया था। जीएसटी के तहत 2017–18 की अगली तीन तिमाहियों और 2018–19 की तीन तिमाहियों (दिसंबर 2018 तक) में इन व्यवसायियों की संभावित कर देयता का निर्धारण सक्षम अधिकारियों द्वारा उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जा सकता है। लेखापरीक्षा ने

इन व्यवसायियों के कर देयता की गणना 2017–18 की पहली तिमाही के दौरान उनके द्वारा किये गए कर भुगतान के अनुसार किया जो नीचे वर्णित है:

2017–18 की पहली तिमाही के दौरान भुगतान किया गया कर	₹ 44,45,93,276
2017–18 में अगली तीन तिमाहियों और 2018–19 की पहली तीन तिमाहियों के दौरान संभावित कर देयता	₹ 2,66,75,59,656

उपरोक्त से यह स्पष्ट था कि जीएसटी के तहत इन योग्य करदाताओं के गैर-प्रवर्जन/निबंधन, के साथ साथ कर/प्रवर्तन प्राधिकारियों की निष्क्रियता, जो इन योग्य गैर-निबंधित व्यवसायियों का पता लगाने में विफल रहे, के परिणामस्वरूप ₹ 266.76 करोड़ के संभावित जीएसटी का भुगतान नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, बिहार जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 122 के तहत अर्थदण्ड भी उद्ग्रहणीय है।

जवाब में, विभाग ने इन गलत व्यवसायियों पर कोई भी कृत कार्यवाई सूचित नहीं किया।

अनुशंसा: विभाग को मौजूदा योग्य व्यवसायियों के जीएसटी में गैर-प्रवर्जन के कारण की जाँच करनी चाहिए और कर के साथ ही अर्थदण्ड आरोपण के लिए जीएसटी के तहत कार्यवाही शुरू करनी चाहिए।

2.3.10.2 संभावित करदाताओं का निबंधन और गैर-प्रवर्जित / संभावित व्यवसायियों के विरुद्ध प्रवर्तन के उपाय

बिहार जीएसटी अधिनियम की धारा 150 और 151 के अनुसार विभाग ने ऑकड़े और प्रासंगिक जानकारी एकत्र नहीं किया और जीएसटी के कर आधार को बढ़ाने के लिए 2017–18 के दौरान संभावित और योग्य व्यवसायियों की पहचान करने के लिए बिहार जीएसटी नियमावली के नियम 16 के अनुसार कोई भी सर्वेक्षण और अन्य प्रवर्तन उपाय नहीं किया।

बिहार जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 150 और धारा 151 के अनुसार, जीएसटी के कर आधार को बढ़ाने के लिए संभावित और योग्य व्यवसायियों की पहचान करने हेतु ऑकड़ों और प्रासंगिक जानकारी का संग्रह करना है। बिहार जीएसटी नियमावली के नियम 16 में ऐसे व्यक्ति को निबंधित करने के लिए सक्षम अधिकारी विहित किया गया है जो किसी सर्वेक्षण के अनुसरण में अधिनियम के तहत निबंधन के लिए उत्तरदायी है लेकिन निबंधन के लिए आवेदन करने में विफल रहा।

राज्य कर आयुक्त के कार्यालय के लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि न तो कोई सर्वेक्षण/निरीक्षण किया गया और न ही माल और सेवाओं की आपूर्ति में लगे आर्किटेक्ट, चिकित्सक, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, कोचिंग संस्थान, नर्सिंग होम, ट्रैवल एजेंट, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों, आदि जैसे संभावित और योग्य व्यवसायियों की पहचान करने के लिए ऑकड़े और प्रासंगिक जानकारी संग्रह करने का प्रयास किया गया। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि 2,35,563 मौजूदा व्यवसायियों में से 59,493 (25 प्रतिशत) जीएसटी के तहत प्रवर्जित/निबंधित नहीं हुये। यह जीएसटी के तहत कर-आधार को बढ़ाने की दिशा में विभाग की सुरक्षा को इंगित करता है।

जवाब में, विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार (फरवरी 2019) किया कि योग्य, परन्तु गैर-प्रवर्जित व्यवसायियों और अन्य संभावित व्यवसायियों की पहचान करने के लिए कर-लेखापरीक्षा, निरीक्षण या सर्वेक्षण पर विचार नहीं किया गया था।

अनुशंसा: विभाग को सर्वेक्षण और अन्य प्रवर्तन उपायों का संचालन करके अनिबंधित और योग्य व्यवसायियों का पता लगाने हेतु प्रक्रिया आरंभ करना चाहिए और जीएसटी के तहत निबंधन न लेने के कारण की जाँच करनी चाहिए।

2.3.10.3 जीएसटी में मौजूदा करदाताओं के प्रवर्जन में कर प्राधिकारी की गैर-भागीदारी

बिहार जीएसटी नियमावली का नियम 24 यह प्रावधान करता है कि, सक्षम अधिकारी निबंधन के लिए आवेदन पत्र तथा साथ संलग्न दस्तावेजों की जाँच करेगा तथा यदि कोई विसंगति पाई गई तो कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है।

लेखापरीक्षा ने राज्य कर आयुक्त से उन मामलों को सूचित करने का अनुरोध किया, जहां कर प्राधिकारियों ने प्रवर्जन के लिए करदाताओं द्वारा दी गई निर्दिष्ट जानकारी और दस्तावेजों को सत्यापित नहीं किया तथा नियम 24 (3क) के तहत निबंधन प्रदत्त मान लिया गया।

जवाब में, विभाग ने कहा (जनवरी 2019) कि अधिकांश प्रवर्जित व्यवसायियों ने 01.07.2017 (प्रवर्जन का आरंभ—नवम्बर 2016) से पूर्व ही प्रवर्जन पूरा कर लिया था और इस अवधि के दौरान दिए गये दस्तावेजों को सत्यापित और अभिपुष्ट करने की सुविधा बैकएंड पर उपलब्ध नहीं कराई गई थी। विभाग ने आगे कहा (फरवरी 2019) कि जीएसटीएन द्वारा प्रवर्जन के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले करदाताओं के औपबंधिक निबंधन को निष्क्रिय कर दिया गया है। जो आवेदन पूर्ण थे, उन्हें बैकएंड से जीएसटीएन द्वारा अनुमोदित किया गया था।

यह प्रवर्जन की प्रक्रिया में कर अधिकारियों के गैर-भागीदारी की पुष्टि भी करता है।

2.3.10.4 मौजूदा व्यवसायियों का जीएसटी में प्रवर्जन के बजाय नया निबंधन प्राप्त करना

मौजूदा कर व्यवस्था के तहत पहले से निबंधित 12,746 करदाताओं को प्रवर्जन के बजाय जीएसटी में नए निबंधन की अनुमति दी गई।

वैटमिस से प्राप्त वी.आर.-I¹¹ डाटा की जाँच और मौजूदा करदाताओं के डाटा और जीएसटी के तहत नये निबंधन के डाटा (जैसा कि विभाग द्वारा प्रदान किया गया) के साथ उनके तिर्यक-मिलान करने पर पता चला कि जीएसटी व्यवस्था के तहत करदाताओं के 1,96,861 नये निबंधनों (10 सितंबर 2018 तक) में से, 12,746 करदाता ऐसे थे जो पहले से ही मौजूदा कर (वैट) व्यवस्था के तहत निबंधित थे, लेकिन प्रवर्जन के बजाय उन्हें जीएसटी में नए निबंधन की अनुमति दी गई। यह इंगित करता है कि मौजूदा व्यवसायियों को प्रवर्जन के बदले नए निबंधन को रोकने के लिए जीएसटीएन की आईटी प्रणाली को वैटमिस के साथ एकीकृत नहीं किया गया था। इसके अलावा, जीएसटी ट्रान-1 में जीएसटी पोर्टल पर मौजूदा अधिनियमों के टिन (कर पहचान संख्या) को भरना अनिवार्य नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप अभिप्रेरित जाँचों का प्रयोग नहीं किया गया।

जवाब में, विभाग ने कहा (फरवरी 2019) कि प्रणाली की गड़बड़ी के कारण और जानकारी के अभाव में, व्यवसायियों ने नया निबंधन लिया। आगे कहा गया कि जीएसटी पोर्टल पर भी मौजूदा करदाताओं के लिए नए निबंधन को रोकने के लिए कोई तंत्र नहीं था।

हालाँकि, तथ्य यह भी है कि मौजूदा व्यवसायियों द्वारा नया निबंधन भी जोखिम से भरा हुआ है, क्योंकि मौजूदा अधिनियमों के अभुगतित कर देयता, यदि कोई हो, को नए निबंधन के साथ जोड़ा नहीं जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप कर के बकाये की वसूली नहीं हो सकती।

¹¹ वीआर-I में व्यवसायियों का विवरण पैन के साथ होता है।

2.3.10.5 मौजूदा अधिनियमों के तहत रद्द करदाताओं का जीएसटी में प्रवर्जन

मौजूदा अधिनियमों में 401 व्यवसायियों के निबंधन रद्द कर दिये गये थे, इसके बावजूद भी वे जीएसटी व्यवस्था में प्रवर्जित हो गये।

वैटमिस से प्राप्त किये गए वीआर-I (मौजूदा अधिनियम के तहत निबंधित व्यवसायियों के संधारित विवरण) डाटा और 31.01.2019 को 1,63,324 प्रवर्जित करदाताओं के डाटाबेस की जाँच करने पर पाया गया कि 401 करदाता ऐसे थे, जिनके निबंधन मौजूदा अधिनियम के तहत वैटमिस पर फरवरी 2011 और जून 2017 के बीच (अर्थात् 1 जुलाई 2017 से जीएसटी के कार्यान्वयन से पहले) रद्द की गई थी, परन्तु जीएसटी व्यवस्था में प्रवर्जित होने की अनुमति दी गई।

यह इंगित करता है कि ऐसी प्रवर्जन संबंधी अनियमितताओं पर नियंत्रण तथा उनका पता लगाने के लिए वैटमिस डाटा को निबंधन संबंधी जीएसटी पोर्टल के साथ एकीकृत नहीं किया गया था ताकि रद्द किए गए व्यवसायी प्रवर्जित न हो सकें। विभाग के सक्षम अधिकारी भी इस अनियमितता का पता लगाने के लिए व्यवसायियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को सत्यापित करने में विफल रहे।

जवाब में, विभाग ने स्वीकार किया (फरवरी 2019) कि मौजूदा अधिनियम के अंतर्गत 401 रद्द किए गए व्यवसायी जीएसटी में प्रवर्जित हो गए हैं और मामलों का सत्यापन किया जा रहा है।

2.3.11 संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट

बिहार जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 140 सह पठित बिहार जीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 117 के अनुसार कोई निबंधित व्यक्ति, जो धारा 10 के तहत कंपोजिशन व्यवसायी के रूप में निबंधित व्यक्ति के अलावा हो,

(क) जीएसटी के पूर्व की अवधि (2017–18 की पहली तिमाही) के आईटीसी की अप्रयुक्त राशि को जीएसटी अवधि में अग्रेषित करने का हकदार था।

(ख) पूँजीगत वस्तुओं से संबंधित अप्रयुक्त आईटीसी की राशि जो 2017–18 की पहली तिमाही से संबंधित विवरणी में अग्रेषित नहीं था को अग्रेषित करने का हकदार था।

(ग) बिहार जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 140(3) से 140(6) के अंतर्गत स्टॉक में रखे गए इनपुट और स्टॉक में रखे गए अर्द्ध-निर्मित या निर्मित माल में समाहित इनपुट जिसपर जीएसटी-पूर्व अवधि में क्रेडिट का लाभ नहीं लिया गया था और करदाता ऐसे इनपुट पर जीएसटी के अंतर्गत आईटीसी के योग्य है, से संबंधित वैट और प्रवेश कर का क्रेडिट भी जीएसटी अवधि में अग्रेषित करने हेतु हकदार था।

उपरोक्त क्रेडिट का दावा करने के लिए, जीएसटी ट्रान-1 और जीएसटी ट्रान-2 में घोषणा पत्र को कॉमन पोर्टल पर दाखिल किया जाना आवश्यक था।

इसके अतिरिक्त, करदाता निम्नलिखित परिस्थितियों में जीएसटी के तहत संक्रमणकालीन क्रेडिट का दावा करने के हकदार थे: (1) जीएसटी के तहत आईटीसी के रूप में क्रेडिट स्वीकार्य था (2) व्यवसायी ने मौजूदा अधिनियमों के तहत 1 जुलाई 2017 से पहले के छः महीने की अवधि के लिए आवश्यक सभी रिटर्न दाखिल किए थे (3) उक्त क्रेडिट की राशि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित छूट संबंधी अधिसूचनाओं के तहत विनिर्मित एवं शोधित वस्तुओं से संबंधित नहीं था।

संक्रमणकालीन आईटीसी का दावा करने वाले व्यवसायियों की स्थिति

जीएसटी के तहत संक्रमणकालीन आईटीसी का दावा करने वाले व्यवसायियों का विवरण नीचे वर्णित है:

- जीएसटी ट्रान-1 के माध्यम से दावा

वाणिज्य कर विभाग¹² द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, जीएसटी ट्रान-1 के माध्यम से व्यवसायियों द्वारा दावा किए गए संक्रमणकालीन आईटीसी का विवरण तालिका 2.7 में वर्णित हैं:

तालिका 2.7

ट्रान-1 के माध्यम से राज्य के सभी व्यवसायियों के दावों का विवरण

(₹ करोड़ में)

अधिकार क्षेत्र	व्यवसायियों की संख्या	सेन्ट्रल जीएसटी क्रेडिट की राशि	स्टेट जीएसटी क्रेडिट की राशि	कुल
केन्द्रीय कर प्राधिकारी	1,471	297.94	110.55	408.50
राज्य कर प्राधिकारी	3,146	367.06	130.05	497.11
कुल	4,617¹³	665.00	240.60	905.61

इसके अतिरिक्त, राज्य कर प्राधिकारियों के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत 3,146 व्यवसायियों द्वारा संक्रमणकालीन आईटीसी के दावे का विवरण तालिका 2.8 में वर्णित हैं:

तालिका 2.8

राज्य कर प्राधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले व्यवसायियों के दावों का विवरण
(₹ करोड़ में)

विवरण	व्यवसायियों की संख्या	सेन्ट्रल जीएसटी क्रेडिट की राशि	स्टेट जीएसटी क्रेडिट की राशि	कुल
केवल सेन्ट्रल जीएसटी क्रेडिट दावा करने वाले व्यवसायी	1,187	206.51	शून्य	206.51
केवल स्टेट जीएसटी क्रेडिट दावा करने वाले व्यवसायी	1,510	शून्य	42.84	42.84
दोनों क्रेडिट दावा करने वाले व्यवसायी	434	160.55	87.21	247.76
'शून्य' क्रेडिट दावा करने वाले व्यवसायी	15	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	3,146	367.06	130.05	497.11

- जीएसटी ट्रान-2 के माध्यम से दावा

बिहार जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 140 (3) के परन्तुक और बिहार जीएसटी नियमावली 2017 के नियम 117 (4) के अनुसार, यदि किसी निबंधित व्यक्ति, एक विनिर्माता या सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के अलावा, के पास इनपुट के संबंध में बीजक या कर का भुगतान करने से सम्बन्धित कोई दस्तावेज नहीं है, उसे जीएसटी ट्रान-2 में घोषणा पत्र दाखिल करके नियत तिथि पर स्टॉक में रखे सामान पर आईटीसी का लाभ उठाने की अनुमति होगी।

विभाग ने लेखापरीक्षा के अनुरोध (अगस्त 2018) के बावजूद जीएसटी ट्रान-2 में संक्रमणकालीन आईटीसी का दावा करने वाले व्यवसायियों का विवरण प्रस्तुत नहीं किया। विभाग ने जवाब दिया (फरवरी 2019) कि जीएसटी ट्रान-2 के माध्यम से संक्रमणकालीन आईटीसी के दावों का ऐसा डाटा जीएसटीएन द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया था।

2.3.11.1 जीएसटी के तहत संक्रमणकालीन आईटीसी दावा के सत्यापन प्रक्रिया का अपर्याप्त अनुश्रवण

संक्रमणकालीन आईटीसी का एक समय सीमा में सत्यापन करने के लिए राज्य कर आयुक्त के निर्देश का क्षेत्रीय राज्य कर संयुक्त आयुक्तों द्वारा पूरी तरह से अनुपालन नहीं किया गया क्योंकि केवल 24 प्रतिशत मामलों को उनके द्वारा सत्यापित किया गया जो अपर्याप्त अनुश्रवण को इंगित करता है।

बिहार जीएसटी नियमावली 2017 के नियम 121 में यह प्रावधान है कि संक्रमणकालीन क्रेडिट की राशि को सत्यापित किया जा सकता है और धारा 73 या 74 के तहत किसी क्रेडिट का

¹² विभाग ने कहा कि यह डाटा जीएसटीएन द्वारा सुरक्षित फाईल स्थानांतरण प्रोटोकॉल (एसएफटीपी) के माध्यम से डम्प डाटा के रूप में प्रदान किया गया था।

¹³ 4,617 व्यवसायियों के अलावा, तीन व्यवसायियों ने ₹ 2.98 लाख के स्टेट जीएसटी क्रेडिट का दावा किया था, लेकिन व्यवसायियों के नाम, प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र आदि डाटाबेस में उपलब्ध नहीं थे।

गलत तरीके से लाभ उठाने पर कार्यवाही शुरू की जाएगी। इस प्रकार, बिहार जीएसटी अधिनियम/नियमावली, 2017 में संक्रमणकालीन आईटीसी के दावों का सत्यापन अनिवार्य नहीं किया गया था। इसलिए, राज्य कर आयुक्त, बिहार ने केंद्रीय करों एवं राज्य करों के आईटीसी के संक्रमणकालीन दावों का सत्यापन करने के लिए सभी क्षेत्रीय संयुक्त राज्य कर आयुक्त को संक्रमणकालीन आईटीसी के बड़े दावों को प्राथमिकता देते हुये फरवरी 2018 तक सत्यापन करने के लिये जनवरी 2018 में निर्देश जारी किया।

पचास अंचलों में से 49 अंचलों के लेखापरीक्षा से पता चला कि स्टेट जीएसटी के संक्रमणकालीन आईटीसी के दावों के कुल 1,932 मामलों में से, कर निर्धारण प्राधिकारियों ने 466 मामलों (24 प्रतिशत) को सत्यापित किया (अक्टूबर 2018 तक) था, जिसमें ₹ 10 लाख से कम के संक्रमणकालीन आईटीसी के दावों के 441 मामले एवं ₹ 10.00 लाख से अधिक के दावे के 25 मामले शामिल थे। यह जनवरी 2018 के विभागीय निर्देश के विपरीत था जिसमें संयुक्त आयुक्त राज्य कर को संक्रमणकालीन आईटीसी के उच्च मूल्य दावों के सत्यापन के लिए प्राथमिकता देने हेतु निर्देश दिए गए थे। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि 19 अंचलों¹⁴ में कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा संक्रमणकालीन दावों का सत्यापन बिल्कुल नहीं किया गया था।

इसके अतिरिक्त, विभाग ने अक्टूबर 2018 तक केंद्रीय कर प्राधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले व्यवसायियों के स्टेट जीएसटी दावों का सत्यापन नहीं किया।

राज्य कर आयुक्त के निर्देशों का पालन न करने और संक्रमणकालीन आईटीसी दावों के अपर्याप्त सत्यापन से यह संकेत मिलता है कि उच्चतर कर प्राधिकारियों द्वारा संक्रमणकालीन आईटीसी दावों की सत्यापन प्रक्रिया का अनुश्रवण सुनिश्चित नहीं किया गया था।

जवाब में, विभाग ने कहा (फरवरी 2019) कि सत्यापन प्रक्रिया का नियमित अनुश्रवण मुख्यालय स्तर पर की जाती है और सत्यापन का परिणाम प्राप्त करने के लिए विभाग द्वारा एक प्रारूप भी विहित किया गया है।

विभाग का जवाब तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि विभाग ने सत्यापन प्रक्रिया के अनुश्रवण के लिए कोई आवधिक मैनेजमेन्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम विहित नहीं किया गया।

2.3.11.2 जीएसटी के तहत संक्रमणकालीन आईटीसी के दावों को प्रभावित करने वाले मूल्यवर्द्धित कर से संबंधित आईटीसी के प्रावधान

वैट के आधिकार्य भुगतान को आईटीसी के रूप में अग्रेषित किया जा रहा था क्योंकि विभाग द्वारा विहित वैट रिटर्न में उसे गलत तरीके से अवलोकित किया गया था जिसे बाद में गलत तरीके से जीएसटी के तहत संक्रमणकालीन आईटीसी के रूप में दावा किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वैट के तहत त्रैमासिक और वार्षिक रिटर्न के प्रारूप में एक संशोधन जून 2016 में किया गया था जिसने व्यवसायियों को देय वैट की किसी भी राशि से अधिक भुगतान की गई राशि को अग्रेषित आईटीसी के रूप में अगले तिमाही/वर्ष में अग्रेषित करने हेतु सक्षम बनाया, जो बिहार वैट अधिनियम की धारा 2 (आर) और बिहार वैट नियमावली 2005 के नियम 12 के प्रावधानों की मंशा और विषय से परे था। रिटर्न के प्रारूप में संशोधन के बाद, व्यवसायियों द्वारा स्वीकार किए गए वैट देयता से परे वैट भुगतान किये गये राशि का दावा अगली तिमाही/वर्ष में अग्रेषित आईटीसी के रूप में किया गया जो अंततः जीएसटी के तहत संक्रमणकालीन आईटीसी के रूप में गलत तरीके से अग्रेषित किया गया जैसा कि कंडिका 2.3.11.8 में वर्णित है।

¹⁴ भागलपुर, दानापुर, दरभंगा, गांधी मैदान, जमुई, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, नवादा, पाटलिपुत्र, पटना मध्य, पटना सिटी पूर्व, पटना सिटी पश्चिम, पटना उत्तर, पटना पश्चिम पूर्णिया, सहरसा और सासाराम।

जवाब में, विभाग ने कहा (फरवरी 2019) कि अधिनियम की धारा 16 के अनुसार व्यवसायी इनपुट टैक्स के किसी भी अधिक राशि को अग्रेषित करने का हकदार था और रिटर्न में आवश्यक संशोधन इस तथ्य के आधार पर किया गया था कि कुछ मामलों में करदाता का यह मूल अधिकार प्रभावित हो रहा था।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बिहार वैट अधिनियम/नियमावली 2005 में दी गई आईटीसी की परिभाषा के अनुसार वैट के भुगतान को आईटीसी के रूप में नहीं माना जा सकता है। अधिक भुगतान के मामले में व्यवसायी के अधिकार को अच्छी तरह से संरक्षित किया गया है क्योंकि वह इस तरह के अधिक कर भगुतान को आईटीसी अग्रेषित के रूप में दावा करने के बजाय कर वापसी का दावा कर सकता है।

अनुपालन के मुद्दे

जीएसटी का आईटी प्रणाली वैटमिस के साथ एकीकृत नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप पूर्व के आँकड़ों का प्रब्रजन वैट से जीएसटी प्रणाली में नहीं हुआ, जिससे व्यापारियों को अनियमित संक्रमणकालीन आईटीसी का दावा करने की सुविधा मिली। 484 नमूना जाँचित व्यवसायियों में से 95 व्यवसायियों द्वारा ₹ 42.79 करोड़ के संक्रमणकालीन आईटीसी के अनियमित दावों का लेखापरीक्षा द्वारा पता लगाया गया।

शेष वैट क्रेडिट को जीएसटी अवधि में स्थानांतरित करना शर्तों के अधीन था। जीएसटी का आईटी प्रणाली भी वैटमिस के साथ एकीकृत नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप पूर्व के आँकड़ों का प्रब्रजन वैट से जीएसटी प्रणाली में नहीं हुआ। इससे व्यवसायियों को अनियमित संक्रमणकालीन क्रेडिट का दावा करने में सुविधा हुई। इसलिए, क्रेडिट हस्तांतरण की पूरी प्रक्रिया संक्रमणकालीन आईटीसी के गलत दावों के जोखिम से भरा था और इसके तत्काल सत्यापन की आवश्यकता थी।

लेखापरीक्षा ने 484 व्यवसायियों जिन्होंने ₹ 10 लाख से अधिक के संक्रमणकालीन आईटीसी का दावा किया था के जीएसटी के पूर्व की अवधि के अंतिम छह माह के विवरणियों एवं जीएसटी ट्रान-1 का जाँच किया। राज्य कर प्राधिकारी के अन्तर्गत संक्रमणकालीन स्टेट जीएसटी दावों के मामलों का विवरण, विभाग द्वारा जाँच किए गए मामले, लेखापरीक्षा द्वारा जाँच किए गए मामले और उनके परिणाम नीचे दिए गए हैं:

तालिका 2.9

	मामलों की संख्या	राशि (करोड़ में)
राज्य में ट्रान-1 के माध्यम से स्टेट जीएसटी के तहत व्यवसायियों द्वारा संक्रमणकालीन आईटीसी का दावा	1,944 मामले	130.05
विभाग द्वारा जाँच किये गये	466 मामले (₹ 10 लाख से कम के 441 मामले और ₹ 10 लाख से अधिक के 25 मामले)	29.27
लेखापरीक्षा द्वारा जाँच किये गये स्टेट जीएसटी के संक्रमणकालीन क्रेडिट	484 मामले (₹ 10 लाख से अधिक) जिसमें कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा जाँचित ₹ 10 लाख से अधिक के 25 मामले शामिल	110.28
लेखा परीक्षा द्वारा पाई गई अनियमितताएँ	95 मामले (कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा जाँचित 25 मामलों में से एक में लेखा परीक्षा द्वारा अनियमितता पाई गयी)	42.79

95 व्यवसायियों द्वारा ₹ 42.79 करोड़ के संक्रमणकालीन आईटीसी के अनियमित दावों की चर्चा कंडिका 2.3.11.3 से 2.3.11.9 तक की गई है।

2.3.11.3 स्रोत पर किये गये कर कटौती (टीडीएस) का जीएसटी ट्रान-1 में संक्रमणकालीन आईटीसी के रूप में दावा किया जाना

दस अंचलों के 18 व्यवसायियों ने ₹ 16.40 करोड़ के टीडीएस का गलत दावा जीएसटी ट्रान-1 में संक्रमणकालीन आईटीसी के रूप में किया था।

अगस्त से अक्टूबर 2018 के दौरान जीएसटी ट्रान-1 और वैट अवधि की अंतिम तिमाही/वार्षिक रिटर्न और भुगतान विवरण आदि के लेखा परीक्षा जाँच में पता चला कि 10 अंचलों¹⁵ के 18 व्यवसायियों ने ट्रान-1 की तालिका 5 (ग) में ₹ 16.40 करोड़ के संक्रमणकालीन आईटीसी का दावा किया था। ये दावे टीडीएस से संबंधित थे न कि आईटीसी से, लेकिन आईटीसी के रूप में दावा किया गया था। इस प्रकार, इन व्यवसायियों ने ₹ 16.40 करोड़ के आईटीसी का गलत दावा किया इसलिए उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, देय ब्याज और अर्थदण्ड के अतिरिक्त ₹ 16.40 करोड़ के कर का भुगतान के लिए उत्तरदायी हैं।

इसे इंगित किये जाने पर पाटलिपुत्र और पटना विशेष अंचलों के कर निर्धारण प्राधिकारियों ने (अक्टूबर 2018 से फरवरी 2019) छह मामलों में ब्याज और अर्थदण्ड सहित ₹ 7.03 करोड़ का माँग सृजित किया। एक मामले में पाटलिपुत्र अंचल के कर निर्धारण प्राधिकारी ने गलत तरीके से आईटीसी के आंशिक दावा को अनुमति दिया (नवम्बर 2018) जो वास्तव में टीडीएस से संबंधित था जो उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्वीकार्य नहीं है।

विभाग का जवाब अभी भी प्रतीक्षित था (सितंबर 2019)।

2.3.11.4 अंतिम विवरणी में अग्रेषित आईटीसी से ज्यादा संक्रमणकालीन आईटीसी का दावा ट्रान-1 में किया जाना।

इक्कीस अंचलों के 44 व्यवसायियों ने वैट के अंतिम रिटर्न की तुलना में ₹ 11.17 करोड़ के अधिक संक्रमणकालीन आईटीसी का दावा जीएसटी ट्रान-1 में किया।

अगस्त से अक्टूबर 2018 के दौरान जीएसटी ट्रान-1 और वैट अवधि की अंतिम तिमाही/वार्षिक रिटर्न और भुगतान विवरण आदि के लेखा परीक्षा जाँच में पता चला कि 21 अंचलों¹⁶ के 44 व्यवसायियों ने ट्रान-1 की तालिका 5 (ग) में ₹ 12.47 करोड़ के संक्रमणकालीन आईटीसी का दावा किया था, यद्यपि, वैट अवधि के अंतिम विवरणी में सात व्यवसायियों ने ₹ 1.30 करोड़ के आईटीसी का अग्रेषण दिखाया था और 37 व्यवसायियों ने आईटीसी का कोई अग्रेषण नहीं दिखाया था जैसा कि बिहार जीएसटी अधिनियम 2017 के अंतर्गत आवश्यक था। इस प्रकार, इन व्यवसायियों ने ₹ 11.17 करोड़ के संक्रमणकालीन आईटीसी का अधिक दावा किया और इस प्रकार वे उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार देय ब्याज और अर्थदण्ड के भुगतान के लिए भी उत्तरदायी थे।

इसे इंगित किये जाने पर दानापुर और पाटलिपुत्र अंचलों के कर निर्धारण प्राधिकारियों ने (नवम्बर एवं दिसंबर 2018) तीन मामलों में ब्याज और अर्थदण्ड सहित ₹ 1.44 करोड़ का माँग सृजित किया। एक मामले में, पाटलिपुत्र अंचल के कर निर्धारण प्राधिकारी ने (अक्टूबर 2018) आंशिक रूप से प्रवेश कर के अधिक भुगतान के कारण दावे की अनुमति दी जो स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत था। एक अन्य मामले में, पाटलिपुत्र अंचल के कर निर्धारण प्राधिकारी ने आंशिक रूप से दावे का अनुमति दिया (दिसंबर 2018) क्योंकि व्यवसायी ने ₹ 2.12 करोड़ के कुल दावों में से ₹ 1.01 करोड़ के सेन्ट्रल जीएसटी से संबंधित क्रेडिट को रिवर्स कर दिया और ₹ 1.11 करोड़ के दावे को यह कहते हुए स्वीकार किया कि यह शेष आईटीसी था जिसे संक्रमणकालीन आईटीसी के रूप में आगे ले जाया जाना था, जो

¹⁵ बिहारशरीफ, मोतिहारी, मुंगेर, पाटलिपुत्र, पटना मध्य, पटना उत्तर, पटना दक्षिण, पटना विशेष, पटना पश्चिम और शाहाबाद (आरा)।

¹⁶ बेगुसराय, दानापुर, फारबिसगंज, गया, कदमकुआं, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर पश्चिम, नवादा, पाटलिपुत्र, पटना मध्य, पटना सिटी पूर्व, पटना सिटी पश्चिम, पटना दक्षिण, पटना पश्चिम, सहरसा, समस्तीपुर, सासाराम और शाहाबाद।

स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत था क्योंकि व्यवसायी ने अंतिम रिटर्न में कोई आईटीसी अग्रेषण का दावा नहीं किया था।

विभाग का जवाब अभी भी प्रतीक्षित था (सितंबर 2019)।

2.3.11.5 अंतिम छह महीनों के रिटर्न दाखिल किए बिना संक्रमणकालीन आईटीसी का दावा

चार अंचलों के चार व्यवसायियों ने जीएसटी ट्रान-1 में ₹ 59.16 लाख के संक्रमणकालीन आईटीसी का दावा किया, हालाँकि उन्होंने अंतिम छह महीनों के रिटर्न दाखिल नहीं किए थे।

चयनित अंचलों में जीएसटी ट्रान-1 और वैट की अवधि से संबंधित व्यवसायी की रिटर्न प्रोफाइल की जाँच में लेखापरीक्षा ने पाया कि चार अंचलों¹⁷ के चार व्यवसायियों ने जीएसटी ट्रान-1 की तालिका 5-ग में ₹ 59.16 लाख के संक्रमणकालीन आईटीसी का दावा किया था, हालाँकि उन्होंने मौजूदा अधिनियम के तहत पिछले छह महीने का रिटर्न दाखिल नहीं किया था। इस प्रकार, इन व्यवसायियों ने ₹ 59.16 लाख के आईटीसी का गलत दावा किया और इसलिए वे उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ₹ 59.16 लाख के कर भुगतान के अलावा देय ब्याज और अर्थदण्ड के भुगतान के लिए उत्तरदायी थे।

इसे इंगित किये जाने पर, पटना विशेष अंचल के कर निर्धारण प्राधिकारी ने (दिसंबर 2018) एक मामले में ब्याज और अर्थदण्ड के साथ ₹ 15.03 लाख का माँग सुनित किया।

विभाग का जवाब अभी भी प्रतीक्षित था (सितंबर 2019)।

2.3.11.6 अंतिम भंडार पर संक्रमणकालीन आईटीसी का गलत दावा

पाँच अंचलों के छह व्यवसायियों ने जीएसटी ट्रान-1 में अंतिम भंडार पर ₹ 3.61 करोड़ के संक्रमणकालीन आईटीसी का गलत दावा किया था।

चयनित अंचलों में व्यवसायियों के जीएसटी ट्रान-1 घोषणा की जाँच के क्रम में लेखापरीक्षा ने पाँच अंचलों¹⁸ के छह मामलों में पाया कि व्यवसायियों ने जीएसटी ट्रान-1 की तालिका 7 (ग) में ₹ 3.61 करोड़ के आईटीसी अग्रेषण का दावा किया था। इस प्रकार व्यवसायियों का इरादा वैट अवधि के इनपुट पर भुगतान किए गये वैट/प्रवेश कर की असमायोजित राशि जो बीजक/कर भुगतान के साक्ष्य दस्तावेजों द्वारा समर्थित थे को जीएसटी अवधि में अग्रेषित करने के लिए बिहार जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 140(3), 140(4)(ख) और 140 (6) के अन्तर्गत इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में स्टेट जीएसटी क्रेडिट के रूप में अग्रेषित किया गया।

हालाँकि, 2017-18 की पहली तिमाही के वैट/प्रवेश कर के तिमाही रिटर्न की जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि रिटर्न में उल्लेखित तथ्यों और ऑकड़ों¹⁹ के आलोक में व्यवसायियों के दावे गलत थे। इस प्रकार इन व्यवसायियों ने ₹ 3.61 करोड़ के आईटीसी का गलत दावा किया था और इसलिए वे उपरोक्त अधिनियम के प्रावधान के अनुसार देय ब्याज और अर्थदण्ड के अलावा ₹ 3.61 करोड़ के कर भुगतान के लिए उत्तरदायी थे।

इसे इंगित किये जाने पर, पटना विशेष अंचल के कर निर्धारण प्राधिकारी ने (जनवरी 2019) आंशिक रूप से एक मामले में ब्याज और अर्थदण्ड के साथ ₹ 67.69 लाख का माँग सुनित किया।

विभाग का जवाब अभी भी प्रतीक्षित था (सितंबर 2019)।

¹⁷ मोतिहारी, मुजफ्फरपुर पश्चिम, पटना विशेष और शाहबाद (आरा)।

¹⁸ गाँधी मैदान, पाटलिपुत्र, पटना उत्तर, पटना विशेष और शाहबाद (आरा)

¹⁹ व्यवसायी द्वारा ट्रान की तालिका 5(ग) और 7(ग) में आईटीसी की समान राशि का दावा किया गया था, हालाँकि स्टॉक का कोई मामला नहीं था, प्रवेश कर भुगतान की पूरी राशि पर सामंजन का लाभ उठाने के बावजूद शेष स्टॉक पर भुगतान किये गये कर को आईटीसी के रूप में अग्रेषित किया गया था आदि।

2.3.11.7 दो साल से अधिक अवधि तक आईटीसी को अग्रेषित कर संक्रमणकालीन आईटीसी का गलत दावा

एक व्यवसायी ने आईटीसी को दो साल से अधिक अवधि तक अग्रेषित कर ₹ 11.80 लाख के संक्रमणकालीन आईटीसी का गलत दावा जीएसटी ट्रान-1 में किया था।

पटना दक्षिण अंचल के एक मामले में लेखापरीक्षा ने पाया कि व्यवसायी ने आईटीसी को दो वर्षों से अधिक अवधि तक अग्रेषित कर ₹ 11.80 लाख के संक्रमणकालीन आईटीसी का दावा जीएसटी ट्रान-1 की तालिका 5(g) में किया था, जो कि बिहार वैट अधिनियम, 2005 की धारा 16(1) के दूसरे परन्तुक के अनुसार गलत था, जो यह प्रावधान करता है कि जिस वित्तीय वर्ष से उक्त अप्रयुक्त आईटीसी संबंधित है को उस साल की समाप्ति के दो साल की अवधि के पश्चात किसी आउटपुट टैक्स के साथ समायोजित नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकार, व्यवसायी ने ₹ 11.80 लाख के आईटीसी का गलत दावा किया और इसलिए अधिनियम के प्रावधान के अनुसार देय ब्याज और अर्थदण्ड के अलावा ₹ 11.80 लाख के कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी था।

विभाग का जवाब अभी भी प्रतीक्षित था (सितंबर 2019)।

2.3.11.8 वैट के आधिक्य भुगतान को संक्रमणकालीन आईटीसी के रूप में दावा किया जाना

सात अंचलों के सात व्यवसायियों ने 2017–18 की पहली तिमाही तक किये गये ₹ 3.71 करोड़ वैट के अधिक भुगतान को जीएसटी ट्रान-1 में संक्रमणकालीन आईटीसी के रूप में गलत दावा किया।

अगस्त से अक्टूबर 2018 के दौरान जीएसटी ट्रान-1 और अंतिम तिमाही/वार्षिक विवरणी और भुगतान विवरणी आदि की लेखापरीक्षा नमूना जाँच में पाया गया कि सात अंचलों²⁰ के सात व्यवसायियों ने जीएसटी ट्रान-1 की तालिका 5-(g) में ₹ 3.71 करोड़ के संक्रमणकालीन आईटीसी का दावा किया था जो 2017–18 की पहली तिमाही तक किये गए वैट के अधिक भुगतान के कारण था, यद्यपि व्यवसायी केवल आईटीसी को ही अग्रेषित करने के लिए पात्र थे। इस प्रकार, इन व्यवसायियों ने ₹ 3.71 करोड़ के आईटीसी का गलत दावा किया और इसलिए वे उपरोक्त अधिनियम के प्रावधान के अनुसार, देय ब्याज और अर्थदण्ड के अलावा ₹ 3.71 करोड़ के कर भुगतान के लिए उत्तरदायी थे।

इसे इंगित किये जाने पर, पाटलिपुत्र अंचल के कर निर्धारण प्राधिकारी ने (नवम्बर 2018) एक मामले में ब्याज और अर्थदण्ड सहित ₹ 13.82 लाख का माँग सृजित किया।

विभाग का जवाब अभी भी प्रतीक्षित था (सितंबर 2019)।

2.3.11.9 अन्य कारणों से संक्रमणकालीन आईटीसी का गलत दावा

आठ अंचलों के 15 व्यवसायियों ने जीएसटी ट्रान-1 में ₹ 7.20 करोड़ के संक्रमणकालीन आईटीसी का गलत दावा किया।

अगस्त से अक्टूबर 2018 के दौरान जीएसटी ट्रान-1 और अंतिम तिमाही/वार्षिक विवरणी और भुगतान विवरणी आदि की लेखापरीक्षा नमूना जाँच में पाया गया कि आठ अंचलों²¹ के 15 व्यवसायियों ने जीएसटी ट्रान-1 के विभिन्न तालिकाओं में ₹ 7.20 करोड़ के संक्रमणकालीन

²⁰ औरंगाबाद, पाटलिपुत्र, पटना सिटी पूर्व, पटना उत्तर, पटना दक्षिण, पटना पश्चिम और सासाराम।

²¹ दानापुर, मुजफ्फरपुर पूर्व, मुजफ्फरपुर पश्चिम, पाटलिपुत्र, पटना मध्य, पटना विशेष, पटना पश्चिम और सासाराम।

आईटीसी का दावा किया था, लेकिन ये दावे विभिन्न कारणों²² से गलत थे। इस प्रकार, इन व्यवसायियों ने ₹ 7.20 करोड़ के आईटीसी का गलत दावा किया और इसलिए वे उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार देय ब्याज और अर्थदण्ड के अलावा ₹ 7.20 करोड़ के कर भुगतान के लिए उत्तरदायी थे।

इसे इंगित किये जाने पर, दानापुर, पाटलिपुत्र और पटना विशेष अंचलों के कर निर्धारण प्राधिकारियों ने चार मामलों में ब्याज और अर्थदण्ड सहित ₹ 1.86 करोड़ का माँग सृजित (नवम्बर 2018 से जून 2019) किया। एक मामले में, पाटलिपुत्र अंचल के कर निर्धारण प्राधिकारी ने आंशिक रूप से दावे को अनुमति दिया (मई 2019) क्योंकि व्यवसायी ने क्रेडिट लेजर से क्रेडिट को रिवर्स कर दिया था।

विभाग का जवाब अभी भी प्रतीक्षित था (सितंबर 2019)।

अनुशंसा: विभाग को सभी संक्रमणकालीन आईटीसी दावों के सत्यापन के लिए प्रयास करना चाहिए और गलत अनियमित दावों के मामलों का स्वतः पता लगाने के लिए एक मजबूत आईटी आधारभूत संरचना विकसित करना चाहिए, जो उचित जाँच, नियंत्रण और सत्यापन से पूर्ण हो।

2.3.12 लेखापरीक्षा का प्रभाव

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद, विभाग ने व्यवसायियों के निबंधन स्थिति में सुधार किया, गलत तरीके से लिये गये क्रेडिट की वसूली और उत्क्रमण, विवादित और अवरुद्ध क्रेडिट की गैर-स्वीकार्यता के लिये परिपत्र जारी किये और डीआरसी का ऑनलाइन जारी करना व्यवहार में लाया।

- एक स्थायी खाता संख्या वाले व्यवसायियों का निबंधन दो श्रेणियों के तहत किया जाना

बिहार जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 10 के तहत, एक व्यवसायी जो एक स्थायी खाता संख्या पर एक से अधिक जीएसटीआईएन रखता है को या तो कंपोजिशन स्कीम²³ या नियमित स्कीम में होना आवश्यक है। इस प्रावधान के विपरीत, 148 व्यवसायियों ने एक जीएसटीआईएन पर कंपोजिशन स्कीम और दूसरे जीएसटीआईएन पर नियमित स्कीम का विकल्प चुना था। इन 148 व्यवसायियों में से 54 ने नियमित करदाता (जीएसटीआर 3 ख) और कंपोजिशन करदाता (जीएसटीआर 4) के रूप में एक ही अवधि के लिये रिटन भरा, जो पुष्टि करता है कि वे उस अवधि के लिए नियमित और कंपोजिशन करदाता थे।

अधिनियम के पूर्वोक्त प्रावधान के विपरीत जीएसटीएन पोर्टल पर एक ही स्थायी खाता संख्या रखने वाले करदाताओं को दो श्रेणियों (कंपोजिशन / नियमित) के तहत निबंधित किया जाना और उसकी स्वीकृति स्वयं इंगित करता है कि प्रावधानों को ठीक से परिमापित नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप प्रणाली शुरुआत में ही इस अनियमितता का पता नहीं लगा पाई। व्यवसायी नियमित स्कीम के अपने आवर्त के एक हिस्से को, निश्चित दर पर कर का भुगतान करके कम्पोजिशन योजना का अनुचित लाभ उठाने के लिए, कम्पोजिशन स्कीम में स्थानांतरित कर सकता है।

जवाब में, विभाग ने कहा (फरवरी 2019) कि वर्तमान में किसी करदाता के पास दो श्रेणियों के तहत निबंधन नहीं है, अर्थात् एक ही स्थायी खाता संख्या पर नियमित और कम्पोजिशन करदाता। जीएसटीएन से उनके आवर्त और उसके विस्तृत विवरण के बारे में जानकारी मांगी जा रही है और उनकी पात्रता का पता लगाया जाएगा और कानून द्वारा अनुमत कार्रवाई की जाएगी।

²² व्यवसायी संक्रमणकालीन क्रेडिट का दावा करने योग्य नहीं थे, गलत आईटीसी को अंतिम विवरणी में आगे लाया गया और ट्रान-1 में दावा किया गया, पिछले वर्ष में कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अस्वीकृत आईटीसी को संक्रमणकालीन आईटीसी के रूप में दावा किया गया, 2014-15 से 2017-18 (पहली तिमाही) तक कोई खरीद और बिक्री नहीं हुई और न ही कोई कर जमा किया गया, लेकिन ट्रान-1 में गलत संक्रमणकालीन आईटीसी ले लिया गया और अग्रेषित आईटीसी स्वयं गलत था।

²³ जो करदाता इस योजना का चुनाव करता है, उसे निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अधीन, वस्तुओं या सेवाओं पर लागू दर के बजाय कर की एक निश्चित दर से कर का भुगतान करना होता है।

- गलत लिये गये संक्रमणकालीन आईटीसी की वसूली / उत्क्रमण की प्रक्रिया।

सीबीआईसी ने एक परिपत्र जारी किया (सितंबर 2018) और मौजूदा अधिनियमों के तहत लिये गये गलत सेनेवैट क्रेडिट और संबंधित ब्याज, अर्थदण्ड या विलंब शुल्क की वसूली / उत्क्रमण के लिए प्रक्रियाओं को निर्धारित किया जो सेन्ट्रल जीएसटी अधिनियम, 2017 के अनुच्छेद 142(6), (7) और (8) के प्रावधानों के तहत 1 जुलाई 2017 से पूर्व या उसके पश्चात किये गये किसी अपील, रिविजन और रिव्यू के कारण हुई हो तथा प्रपत्र—जीएसटीआर 3(ख) के तालिका 4(ख)(2) के माध्यम से दावा किये गये अयोग्य संक्रमणकालीन क्रेडिट की वसूली / उत्क्रमण के लिए प्रक्रियाओं को भी निर्धारित किया। तथापि, वाणिज्य कर विभाग ने गलत लिये गए क्रेडिट के उत्क्रमण के लिए इस तरह के किसी भी तंत्र को विहित नहीं किया।

इसे इंगित किये जाने पर, विभाग ने 11 फरवरी 2019 को एक परिपत्र जारी किया और मौजूदा अधिनियम के तहत लिये गये गलत क्रेडिट तथा जीएसटीआर 3(ख) की तालिका 4(ख)(2) में अयोग्य संक्रमणकालीन क्रेडिट की वसूली / उत्क्रमण के लिए प्रक्रियाओं को निर्धारित किया।

- अग्रेषित विवादित क्रेडिट का उपयोग नहीं किया जाना और अवरुद्ध क्रेडिट का गैर-संक्रमण

सीबीआईसी ने विवादित क्रेडिट²⁴ और अवरुद्ध क्रेडिट²⁵ की गैर स्वीकार्यता तथा यदि ये उपयोग कर लिये गए हैं तो सेन्ट्रल जीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधान के अनुसार अर्थदण्ड और ब्याज के साथ उनकी वसूली के बारे में फरवरी 2018 में परिपत्र जारी किया। हालाँकि, इस तरह का विवादित क्रेडिट और अवरुद्ध क्रेडिट के गलत उपयोग कर लिये जाने पर उनकी वसूली हेतु कोई प्रक्रिया वाणिज्य कर विभाग द्वारा निर्धारित नहीं किया गया।

इसे इंगित किये जाने पर, विभाग ने 11 फरवरी 2019 को एक समरूप परिपत्र जारी किया।

- माँग और वसूली

लेखापरीक्षा ने पाया कि बिहार जीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 142 के अनुसार कर की ऑनलाइन निर्धारण प्रणाली, डीआरसी में सूचना / माँग जारी करना प्रचालित नहीं था (डीआरसी-7 को छोड़कर) और ऑफ-लाइन पद्धति में जारी किया जा रहा था।

जवाब में, विभाग ने कहा (फरवरी 2019) कि डीआरसी-01 से डीआरसी-08 में ऑन-लाइन फॉर्म कार्यात्मक हैं।

2.3.13 निष्कर्ष

सारांश में, व्यवसायियों की संख्या में वृद्धि तथा कम्प्यूटरीकृत वातावरण में काम के अतिरेक के प्रकाश में जीएसटी कार्यान्वयन के बाद विभाग ने कार्यभार के साथ-साथ विभाग के स्वीकृत बल का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया। जीएसटी न्यायाधिकरण का राज्य पीठ और क्षेत्र पीठ का भी गठन नहीं किया गया था।

जीएसटी के तहत निबंधित या प्रवर्जन नहीं करने वाले योग्य करदाताओं की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण और निरीक्षण नहीं किया गया और आँकड़े और जानकारी संग्रहित नहीं किये गये। परिणामस्वरूप, 2,35,563 मौजूदा व्यवसायियों में से 59,493 व्यवसायी (25.26 प्रतिशत)

²⁴ विवादित क्रेडिट-वैट की अवधि का वैसा आईटीसी जो कर निर्धारण प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकरण द्वारा निर्गत किसी आदेश के बाद अस्वीकार्य हो, उसे जीएसटी अवधि के लिए संक्रमणकालीन आईटीसी के रूप में अग्रेषित नहीं किया जाएगा।

²⁵ अवरुद्ध क्रेडिट-वैसा क्रेडिट जो वैट के अंतिम तिमाही रिटर्न में अग्रेषित किया गया तथा जो वैट के तहत पात्र था लेकिन जीएसटी के तहत पात्र नहीं है, उसे जीएसटी अवधि में संक्रमणकालीन आईटीसी के रूप में अग्रेषित नहीं किया जायेगा।

अक्टूबर 2018 तक प्रव्रजित नहीं हुए। इसमें 726 मौजूदा व्यवसायी शामिल थे जिनका आवर्त्त दहलीज सीमा (20 लाख) से अधिक था।

अधिकांश प्रव्रजित व्यवसायियों को निबंधित मान लिया गया क्योंकि, व्यवसायियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जाँच करने और सत्यापित करने की सुविधा बैकएंड पर उपलब्ध नहीं करायी गयी थी और न ही इसे अनिवार्य बनाया गया था हालाँकि, यह एक मुश्त कार्य था।

वैटमिस के साथ जीएसटी के आईटी प्रणाली को एकीकृत नहीं करने के कारण मौजूदा व्यवसायियों द्वारा जीएसटी के तहत नया निबंधन ले लिया गया और मौजूदा अधिनियमों के तहत रद्द किए गए व्यवसायी भी जीएसटी से प्रव्रजित हो गये। इसके अलावा, इसने संक्रमणकालीन आईटीसी के अनियमित दावे को भी प्रोत्साहित किया।

राज्य कर प्राधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले व्यवसायियों के स्टेट जीएसटी संक्रमणकालीन आईटीसी के ₹ 130.05 करोड़ के दावों में से लेखापरीक्षा ने ₹ 110.28 करोड़ के दावों का जाँच किया जिसमें से ₹ 42.79 करोड़ (39 प्रतिशत) के संक्रमणकालीन दावे गलत पाये गये। संक्रमणकालीन आईटीसी के गलत दावों की इतनी अधिक प्रतिशतता, प्रक्रिया में निहित जोखिम को स्वयं इंगित करता है। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि संक्रमणकालीन आईटीसी दावों को शासित करने वाले प्रावधानों का सही तरीके से अनुपालन किया गया है, विभाग को शेष निर्धारितियों के संक्रमणकालीन आईटीसी के दावों का सत्यापन करना चाहिए।

अनुपालन लेखापरीक्षा के अन्य अवलोकन

2.4 आवर्त्त का छिपाव किया जाना

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने व्यवसायियों के रिटर्नों का संवीक्षा नहीं किया जिससे ₹ 32.13 करोड़ के आवर्त्त के छिपाव का पता नहीं लगा परिणामस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 6.09 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005, के अंतर्गत कर-निर्धारण प्राधिकारी को छिपाव, त्रुटि या सही बिक्री/खरीद के प्रकटीकरण में विफलता के मामलों में छूटे हुए आवर्त्त पर देय कर एवं ब्याज के अलावा देय कर का तीन गुणा अर्थदण्ड आरोपित करने का शक्ति प्रदत्त है। पुनः, बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 25 (1) के उपधारा (क) से (छ) के तहत कर-निर्धारण प्राधिकारी विहित छह जाँच सूची के अनुसार प्रत्येक तिमाही एवं वार्षिक रिटर्न की संवीक्षा करेगा।

2.4.1 क्रय आवर्त्त का छिपाव किया जाना

छह वाणिज्य कर अंचलों²⁶ में अगस्त 2016 एवं नवम्बर 2017 के बीच कर-निर्धारण अभिलेखों के नमूना जाँच लेखापरीक्षा में पता चला कि 729 नमूना जाँचित व्यवसायियों (निबंधित व्यवसायियों की संख्या— 35,001) में से आठ व्यवसायियों (स्व-कर निर्धारित) ने वर्ष 2013–14 से 2015–16 की अवधि के दौरान ₹ 136.14 करोड़ का वास्तविक क्रय किया जैसा कि उनके टैक्स ऑडिट रिपोर्ट²⁷ (टीएआर), सुविधा विवरणी एवं वार्षिक रिटर्न के प्रारंभिक शेष एवं अंतिम शेष के सूचना में दिखाया गया था। हालाँकि, उन्होंने वार्षिक रिटर्न में केवल ₹ 117.40 करोड़ का क्रय दिखाया, इस प्रकार ₹ 18.74 करोड़ के माल के क्रय का छिपाव किया। कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 18.74 करोड़ के क्रय आवर्त्त के छिपाव का पता लगाने के लिए व्यवसायियों के रिटर्नों की संवीक्षा नहीं किया। जिससे ₹ 1.71 करोड़ के अर्थदण्ड एवं ₹ 19.16 लाख के ब्याज सहित ₹ 2.47 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

²⁶ बिहारशरीफ, मुजफ्फरपुर पूर्व, मुजफ्फरपुर पश्चिम, पटना सिटी पूर्व, पटना विशेष और सारण।

²⁷ टीएआर-प्रत्येक व्यवसायी, जिसका सकल आवर्त्त ₹ 1 एक करोड़ एवं इसे अधिक हो, को निर्धारित तिथि के पहले किसी चार्टर्ड अकाउंटेन्ट द्वारा प्रमाणित टीएआर जमा करना आवश्यक है।

इसे इंगित किये जाने के बाद, संबंधित कर—निर्धारण प्राधिकारियों ने जनवरी 2017 और अप्रैल 2019 के मध्य लेखापरीक्षा के अवलोकनों को स्वीकार करते हुए ₹ 1.71 करोड़ का मांग सुजित किया, जिसमें से पटना विशेष अंचल के एक मामले में ₹ 31.10 लाख की वसूली की गयी। हालाँकि, मुजफ्फरपुर पश्चिम अंचल के कर—निर्धारण प्राधिकारी ने दो मामलों में अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया, यद्यपि बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 31(2) के प्रावधान के अनुसार अर्थदण्ड आरोप्य था। शेष स्वीकृत मामलों में वसूली प्रतीक्षित है (सितम्बर 2019)। विभाग को मामला प्रतिवेदित (मार्च 2017—नवम्बर 2018) किया गया था; उनका जवाब अब तक प्रतीक्षित था (सितम्बर 2019)।

2.4.2 विक्रय आवर्त्त का छिपाव किया जाना

चार वाणिज्य कर अंचलों²⁸ में अक्टूबर 2016 एवं फरवरी 2018 के बीच कर—निर्धारण अभिलेखों के नमूना जाँच लेखापरीक्षा में पता चला कि 664 नमूना जाँचित व्यवसायियों (निबंधित व्यवसायियों की संख्या—20,387) में से पाँच व्यवसायियों (स्व—कर निर्धारित) ने वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 की अवधि के दौरान ₹ 100.60 करोड़ का वास्तविक विक्रय किया जैसा कि उनके टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, सुविधा विवरणी, व्यापार एवं लाभ एवं हानि खाता में दिखाया गया। हालाँकि, उन्होंने वार्षिक रिटर्न में केवल ₹ 87.21 करोड़ का विक्रय दिखाया, इस प्रकार ₹ 13.39 करोड़ के माल के विक्रय का छिपाव किया। कर—निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 13.39 करोड़ के विक्रय आवर्त्त के छिपाव का पता लगाने के लिए व्यवसायियों के रिटर्नों की संवीक्षा नहीं किया। जिससे ₹ 1.99 करोड़ के अर्थदण्ड एवं ₹ 33.49 लाख के ब्याज सहित ₹ 3.62 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

इसे इंगित किये जाने के बाद, संबंधित कर—निर्धारण प्राधिकारियों ने अगस्त 2017 और अप्रैल 2019 के बीच लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार करते हुए ₹ 2.82 करोड़ का मांग सुजित किया। हालाँकि, दानापुर अंचल के कर—निर्धारण प्राधिकारी ने अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया, यद्यपि बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 31(2) के प्रावधान के अनुसार अर्थदण्ड आरोप्य था। इन स्वीकृत मामलों में वसूली प्रतीक्षित है (सितम्बर 2019)।

विभाग को मामला प्रतिवेदित (मार्च 2017—नवम्बर 2018) किया गया था; उनका जवाब अब तक प्रतीक्षित था (सितम्बर 2019)।

वर्ष 2011–12 से 2016–17 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इसी तरह के अवलोकनों को इंगित किया गया था जिसमें कार्य प्रणाली के कमी को उजागर किया गया एवं कर—निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा व्यवसायियों के रिटर्नों की प्रभावी संवीक्षा कर 163 व्यवसायियों से ₹ 638.82 करोड़ के कर का कम संग्रहण का पता नहीं लगा पाने की उनकी विफलता को रेखांकित किया गया था। हालाँकि, चूक/अनियमितताओं की पुनरावृति जारी है।

2.5 कर के गलत दर लगाये जाने के कारण कर का कम आरोपण

कर—निर्धारण प्राधिकारियों ने कर के गलत दर लगाये जाने का पता लगाने के लिए व्यवसायियों के रिटर्नों की संवीक्षा नहीं किया जिससे आरोप्य ब्याज सहित ₹ 4.70 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005, के प्रावधानों के तहत कर—निर्धारण प्राधिकारी को तिमाही रिटर्न के साथ—साथ वार्षिक रिटर्न की संवीक्षा करनी है ताकि कर के सही दर को लगाया जाना सुनिश्चित किया जा सके। पुनः अधिनियम, संवीक्षा के बाद देय कर की राशि पर 1.5 प्रतिशत प्रति माह के दर से ब्याज आरोपित करना प्रावधित करता है।

²⁸ दानापुर, मुजफ्फरपुर पश्चिम, पाटलिपुत्र एवं पटना मध्य।

छह वाणिज्य कर अंचलों²⁹ में अक्टूबर 2016 एवं जनवरी 2018 के बीच कर-निर्धारण अभिलेखों के नमूना जाँच लेखापरीक्षा में पता चला कि 733 नमूना जाँचित व्यवसायियों (निबंधित व्यवसायियों की संख्या— 42,930) में से नौ व्यवसायियों (स्व-कर निर्धारित) ने वर्ष 2013–14 से 2015–16 की अवधि के दौरान ₹ 65.55 करोड़ के विभिन्न वस्तुओं की बिक्री पर अपनी कर देयता एक से 13.5 प्रतिशत की सही लागू दर के बदले शून्य से पाँच प्रतिशत की कम दरों पर निर्धारित किया। कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने कर के गलत दर लगाये जाने का पता करने के लिए व्यवसायियों के रिटर्नों का संवीक्षा नहीं किया, यद्यपि उन्हें कर के सही दर लगाए जाने को सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक रिटर्न की संवीक्षा करनी थी। इस प्रकार कर-निर्धारण प्राधिकारी, कर के गलत दर लगाये जाने का पता लगाने में विफल रहे जिससे ₹ एक करोड़ के ब्याज सहित ₹ 4.70 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ जैसा कि परिशिष्ट-1 में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने के बाद, तीन³⁰ अंचलों के कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने पाँच व्यवसायियों के मामलों को स्वीकार किया तथा ₹ 1.13 करोड़ का मांग अद्यतन ब्याज के साथ सृजित किया जिसमें से एक मामले में ₹ 32.45 लाख की वसूली की गयी। स्वीकृत मामलों में वसूली तथा शेष मामलों में उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2019)।

विभाग को मामला प्रतिवेदित (अप्रैल 2017–नवम्बर 2018) किया गया था; उनका जवाब अब तक प्रतीक्षित था (सितम्बर 2019)।

वर्ष 2011–12 से 2016–17 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में कर के गलत दर लगाये जाने तथा कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा व्यवसायियों के रिटर्न के प्रभावी संवीक्षा कर 149 व्यवसायियों से ₹ 125.75 करोड़ कर के कम संग्रहण का पता नहीं लगा पाने की उनकी विफलता को रेखांकित किया गया था। हालाँकि, समान चूक/अनियमितताएँ होना निरंतर जारी हैं, जो दर्शाता है कि विभाग ने राजस्व के आवर्ती रिसाव को रोकने हेतु सुधारात्मक उपाय नहीं किया।

2.6 इनपुट टैक्स क्रेडिट

रिटर्नों की संवीक्षा नहीं किये जाने के कारण एवं व्यवसायियों के क्रय एवं विक्रय आँकड़ों के तिर्यक जाँच हेतु प्रणाली के अभाव में, ब्याज एवं अर्थदण्ड सहित ₹ 73.80 करोड़ के आईटीसी का गलत/अधिक उपभोग हुआ।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 16 के अनुसार जब एक निबंधित व्यवसायी बिहार राज्य के अंदर किसी अन्य निबंधित व्यवसायी से अधिनियम की धारा 14 अथवा धारा 4 के तहत कर का भुगतान करने के पश्चात कोई इनपुट का क्रय करता है, तब वह विहित तरीके से इनपुट टैक्स के क्रेडिट का दावा करने के योग्य है, यदि मालों की बिक्री राज्य के अंदर अथवा अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के क्रम में की गई हो अथवा राज्य के अंदर अथवा अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के क्रम में बिक्री के लिए वस्तुओं (अनुसूची-IV के वस्तुओं के अलावे) के विनिर्माण में खपत की गयी हो। पुनः अधिनियम की धारा 31 कर निर्धारण प्राधिकारी को इनपुट टैक्स क्रेडिट के अधिक/गलत दावों के लिए ब्याज की राशि के अलावे भुगतेय कर के तीन गुणा के समतुल्य अर्थदण्ड लगाये जाने का शक्ति प्रदान करता है।

पुनः बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 25 के उपधारा (1) के उपबंध (छ) विहित प्राधिकारी को यह शक्ति प्रदान करता है कि रिटर्न में दावा किये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट एवं अन्य कटौतियों से संबंधित दावों के सम्बन्ध में भी सूचनाएँ एवं साक्ष्य, विहित तरीके से प्रस्तुत किये गये हैं, को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से धारा 24 के उप धारा (1) एवं (3) के अंतर्गत दाखिल प्रत्येक रिटर्न की संवीक्षा करेंगे।

²⁹ गाँधी मैदान, मुजफ्फरपुर पश्चिम, पटना उत्तर, पटना विशेष, पटना दक्षिण और सासाराम।

³⁰ मुजफ्फरपुर पश्चिम, पटना उत्तर एवं पटना विशेष।

2.6.1 इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनियमित / अधिक दावा

पाँच वाणिज्य कर अंचलों³¹ में कर-निर्धारण अभिलेखों के नमूना जाँच लेखापरीक्षा में पता चला कि 658 नमूना जाँचित व्यवसायियों (निबंधित व्यवसायियों की संख्या— 41,700) में से छह व्यवसायियों (स्व-कर निर्धारित) ने 2014–15 एवं 2016–17 के दौरान ₹ 40.45 करोड़ के वस्तुओं की खरीद पर उनके द्वारा ₹ 1.93 करोड़ के अनुमान्य हकदारी के विरुद्ध ₹ 2.55 करोड़ के आईटीसी का उपभोग किया। हालाँकि, मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 25 के प्रावधान का उल्लंघन करते हुये विभिन्न अस्वीकार्य मदों (जैसे कि ऑटो पार्ट्स, टायर, बैट्री, ल्यूब्रिकेन्ट आदि) पर आईटीसी का गलत उपभोग का पता लगाने एवं आईटीसी दावों का सत्यापन करने के लिए कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा रिटर्नों की संवीक्षा नहीं की गयी। फलस्वरूप, ₹ 1.86 करोड़ के अर्थदण्ड एवं ₹ 17.08 लाख के ब्याज सहित ₹ 2.65 करोड़ के कर का आरोपण कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा नहीं किया गया।

इसे इंगित किये जाने के बाद, दानापुर एवं पटना उत्तर अंचलों के कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने तीन व्यवसायियों के मामलों को स्वीकार किया तथा ₹ 64.89 लाख का मांग सृजित किया जिसमें से ₹ 50,000 की वसूली की गयी। दानापुर अंचल के कर-निर्धारण प्राधिकारी ने ब्याज एवं अर्थदण्ड के बिना ₹ 3.82 लाख का मांग सृजित किया। यद्यपि, बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 31(2) के प्रावधान के अनुसार ब्याज और अर्थदण्ड आरोप्य था। स्वीकृत मामलों में वसूली तथा शेष मामलों में उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2019)।

विभाग को मामला प्रतिवेदित (मई 2017—जनवरी 2019) किया गया था; उनका जवाब अब तक प्रतीक्षित था (सितम्बर 2019)।

2.6.2 बढ़ाकर दिखाये गये खरीद पर आईटीसी का अधिक दावा

39 वाणिज्य कर अंचलों³² में कर-निर्धारण अभिलेखों के नमूना जाँच लेखापरीक्षा में पता चला कि 2,966 नमूना जाँचित व्यवसायियों (निबंधित व्यवसायियों की संख्या— 2,16,935) में से 88 व्यवसायियों (स्व-कर निर्धारित) ने वर्ष 2014–15 एवं 2016–17 के दौरान ₹ 941.74 करोड़ के वस्तुओं का खरीद प्रकट किया एवं उस पर ₹ 97.78 करोड़ के आईटीसी का दावा किया, यद्यपि उनकी वास्तविक खरीद ₹ 801.88 करोड़ था जिस पर केवल ₹ 81.30 करोड़ आईटीसी स्वीकार्य था। इस प्रकार व्यवसायियों ने रिटर्न में ₹ 139.86 करोड़ के बढ़ाकर दिखाये गये खरीद पर ₹ 16.48 करोड़ के अधिक आईटीसी का दावा किया जिसका पता क्रेता व्यवसायियों के रिटर्न/टीएआर में प्रकट किये गये खरीद एवं विक्रेता व्यवसायियों के रिटर्न/टीएआर में प्रकट किये गये बिक्री के तिर्यक जाँच में चला। हालाँकि, कर-निर्धारण प्राधिकारी रिटर्न की संवीक्षा करने तथा ₹ 16.48 करोड़ के आईटीसी के गलत/अधिक दावा एवं बढ़ाकर दिखाये गये खरीद का पता लगाने के लिए वैटमिस³³ पर आईटीसी लेजर का सत्यापन करने में विफल रहे, जिससे ₹ 49.45 करोड़ आरोप्य अर्थदण्ड एवं ₹ 5.21 करोड़ ब्याज सहित ₹ 71.15 करोड़ के कर का कम आरोपण हो सकता है। अतः विभाग को खरीद एवं बिक्री के बीच के अंतर तथा चूककर्ता व्यवसायी एवं ऐसे अंतर का कारण का पता लगाने तथा आरोप्य अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 71.15 करोड़ के कर का आरोपण हेतु जाँच करने की आवश्यकता है।

इसे इंगित किये जाने के पश्चात्, मुजफ्फरपुर पश्चिम एवं मोतिहारी अंचल के कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने क्रमशः चार एवं एक मामले को स्वीकार किया तथा ₹ 1.02 करोड़ का मांग सृजित किया। स्वीकृत मामलों में वसूली तथा शेष मामलों में उत्तर प्रतीक्षित थे (सितम्बर 2019)।

विभाग को मामला प्रतिवेदित (अप्रैल 2017—जनवरी 2019) किया गया था; उनका जवाब अब तक प्रतीक्षित था (सितम्बर 2019)।

³¹ आरा, दानापुर, मुजफ्फरपुर पूर्व, पटना उत्तर और सासाराम।

³² औरंगाबाद, बगहा, बाढ़, बेगुसराय, बेतिया, भमुआ, भागलपुर, बक्सर, दरभंगा, फारबिसगंज, गया, हाजीपुर, जमुई, झंझारपुर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर पूर्व, मुजफ्फरपुर पश्चिम, पटना मध्य, पटना उत्तर, पटना दक्षिण, पटना विशेष, पटना पश्चिम, पूर्णिया, रक्सौल, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, सासाराम, शाहाबाद, सीतामढ़ी, सिवान और तेघड़ा।

³³ मूल्यवर्द्धित कर प्रबंधन सुचना प्रणाली।

वर्ष 2011–12 से 2016–17 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में आईटीसी के तिर्यक जाँच हेतु तंत्र के अभाव के कारण व्यवसायियों द्वारा गलत दावा तथा कर-निर्धारण प्राधिकारी द्वारा व्यवसायियों के रिटर्नों की प्रभावी संवीक्षा कर गलत आईटीसी का पता लगाने में उनकी विफलता के फलस्वरूप 126 व्यवसायियों से ₹ 216.07 करोड़ कर के कम संग्रहण को रेखांकित किया गया था। हालाँकि, विभाग ने 2015 में प्रधान सचिव के वैटमिस में आईटीसी के सत्यापन के लिए आईटीसी लेजर के विकास के आश्वासन के बावजूद आईटीसी के दावों के सत्यापन को सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय नहीं किया। इसके फलस्वरूप अनियमितताओं की पुनरावृति होती रही।

2.7 मूल्यवर्द्धित कर से प्रवेश कर के गलत समायोजन के कारण कर का कम आरोपण

कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा रिटर्नों की संवीक्षा नहीं किये जाने के कारण मूल्यवर्द्धित कर के विरुद्ध प्रवेश कर के गलत समायोजन का पता नहीं लगाया गया जिससे आरोप्य ब्याज सहित ₹ 1.74 करोड़ के मूल्यवर्द्धित कर का कम आरोपण हुआ।

बिहार प्रवेश कर अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत किसी व्यवसायी द्वारा अनुसूचित वस्तुओं³⁴ पर भुगतान किये गये प्रवेश कर का समायोजन उसके मूल्यवर्द्धित कर देयता के विरुद्ध निम्नलिखित परिस्थितियों में स्वीकार्य नहीं होगा जैसे (i) आयातित वस्तुओं कि पुनर्बिक्री नहीं की गयी, (ii) मूल्यवर्द्धित कर का दर प्रवेश कर के दर से कम था, एवं (iii) विनिर्माता लघु, मध्यम अथवा रूग्ण उद्योग के श्रेणी से संबंधित नहीं था। पुनः, केन्द्रीय बिक्री कर की देयता प्रवेश कर से समायोजन योग्य नहीं है।

दो वाणिज्य कर अंचलों³⁵ में कर-निर्धारण अभिलेखों के नवम्बर 2017 एवं जनवरी 2018 के बीच नमूना जाँच लेखापरीक्षा में पता चला कि 463 नमूना जाँचित व्यवसायियों (निबंधित व्यवसायियों की संख्या—12,373) में से तीन व्यवसायियों (स्व—कर निर्धारित) ने वर्ष 2015–16 के दौरान उनकी मूल्यवर्द्धित कर देयता के विरुद्ध ₹ 45.43 करोड़ के प्रवेश कर का समायोजन लिया। हालाँकि व्यवसायी केवल ₹ 44.06 करोड़ के प्रवेश कर के समायोजन के योग्य थे, क्योंकि वे प्रवेश कर के समायोजन के विहित मानदंडों³⁶ को पूरा नहीं कर रहे थे। कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने प्रवेश कर के गलत समायोजन का पता लगाने के लिए, बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन करते हुये व्यवसायियों के रिटर्नों की संवीक्षा नहीं किया। इस प्रकार मूल्यवर्द्धित कर के भुगतान के विरुद्ध प्रवेश कर के गलत समायोजन से ₹ 37.32 लाख के ब्याज सहित ₹ 1.74 करोड़ के मूल्यवर्द्धित कर का कम भुगतान हुआ।

इसे इंगित किये जाने के बाद, पटना विशेष अंचल के कर-निर्धारण प्राधिकारी ने फरवरी 2018 में बताया कि फरवरी 2018 में एक मामले में ₹ 1.38 करोड़ की माँग सृजित की गयी है जिसमें से ₹ 47.47 लाख की वसूली की गयी। स्वीकृत मामलों में वसूली तथा शेष मामलों में उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2019)।

विभाग को मामला प्रतिवेदित (जुलाई—नवम्बर 2018) किया गया था; उनका जवाब अब तक प्रतीक्षित था (सितम्बर 2019)।

वर्ष 2012–13 से 2016–17 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में व्यवसायियों द्वारा इन प्रावधानों को पालन नहीं किया जाना तथा कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा व्यवसायियों के रिटर्नों की प्रभावी संवीक्षा कर ऐसे चूक/अनियमितताओं करने वाले 135 व्यवसायियों से ₹ 92.88 करोड़ कर का कम संग्रहण का पता नहीं लगा पाने की उनकी विफलता को रेखांकित किया गया था।

³⁴ बिहार प्रवेश कर अधिनियम, 1993 के साथ संलग्न अनुसूची में उल्लेखित वस्तुओं जिस पर अनुसूची में निर्धारित विभिन्न दरों पर प्रवेश कर आरोप्य है।

³⁵ पटना विशेष एवं पटना दक्षिणी।

³⁶ (i) आयातित वस्तुओं की पुनर्बिक्री अवश्य होनी चाहिए। (ii) आयातित / विक्रय की गयी वस्तु पर मूल्यवर्द्धित कर की दर प्रवेश कर की दर से ज्यादा होनी चाहिए।

हालाँकि विभाग ने उचित उपाय नहीं किया, परिणामस्वरूप समान चूकें/अनियमितताओं की पुनरावृत्ति होती रही।

2.8 कटौतियों की गलत अनुमति/दावा के कारण कर का कम आरोपण

कर—निर्धारण प्राधिकारी द्वारा रिटर्नों की संवीक्षा नहीं किये जाने के कारण कार्य संवेदकों द्वारा अस्वीकार्य कटौतियों का लाभ लिए जाने का पता लगाने में विफल रहने के परिणामस्वरूप ₹ 1.05 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 एवं नियमावली, 2005 उपबंधित करता है कि एक कार्य संवेदक मजदूरी/सेवा एवं अन्य प्रभार के मद में कटौतियों के लिए हकदार है।

पटना दक्षिण अंचल में कर—निर्धारण अभिलेखों और अन्य कागजातों जैसे रिटर्न, लाभ एवं हानि खाता एवं टीएआर का फरवरी 2018 में नमूना जाँच लेखापरीक्षा में पता चला कि 100 नमूना जाँचित व्यवसायियों (निबंधित व्यवसायियों की संख्या— 10,680) में से दो कार्य संवेदकों (स्व—कर निर्धारित) ने वर्ष 2015–16 के दौरान मजदूरी एवं सेवाओं के मद में ₹ 22.02 करोड़ के कटौतियों का लाभ लिया यद्यपि वे केवल ₹ 9.80 करोड़ के कटौती के लिए योग्य थे। वास्तव में इन व्यवसायियों ने उनके द्वारा अर्जित लाभ एवं स्थापना लागत के मद में किये गये कुल खर्च के विरुद्ध कटौतियों का लाभ लिया यद्यपि वे केवल समानुपातिक आधार पर लाभ एवं स्थापना लागत के विरुद्ध कटौतियों के लिए हकदार थे, जो सेवाओं एवं मजदूरी से संबंधित थे। कर—निर्धारण प्राधिकारियों ने, हालाँकि, बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुये व्यवसायियों के रिटर्नों/अभिलेखों का संवीक्षा नहीं किया। अतः उन्होंने अस्वीकार्य मदों पर कटौतियों के लाभ के दावों का पता नहीं लगाया, जो कि उपरोक्त अधिनियम में विहित नहीं था। जिसके फलस्वरूप ₹ 12.22 करोड़ के सामग्री घटक के मूल्य पर ₹ 1.05 करोड़ कम कर का आरोपण हुआ जिसकी गणना³⁷ उन अस्वीकृत कटौतियों को बाँटकर किया गया था।

विभाग को मामला प्रतिवेदित (अगस्त—नवम्बर 2018) किया गया था; उनका जवाब अब तक प्रतीक्षित था (सितम्बर 2019)।

वर्ष 2012–13 से 2016–17 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में व्यवसायियों द्वारा इन प्रावधानों का पालन नहीं किया जाना तथा कर—निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा व्यवसायियों के रिटर्नों की प्रभावी संवीक्षा कर 84 व्यवसायियों/कार्य संवेदकों से ₹ 34.40 करोड़ कर के कम संग्रहण का पता नहीं लगा पाने की उनकी विफलता को रेखांकित किया गया था। हालाँकि, समान चूक/अनियमितताएँ होना निरंतर जारी हैं, जो यह दर्शाता है कि विभाग ने इनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुधारात्मक कदम नहीं उठाया।

2.9 विद्युत मीटर के किराया प्रभार पर कर का कम आरोपण

कर—निर्धारण प्राधिकारियों ने विद्युत मीटर के किराया प्रभार पर ब्याज सहित ₹ 20.98 करोड़ के मूल्यवर्द्धित कर का कम आरोपण किया।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005, प्रावधित करता है कि ‘बिक्री’ में रोकड़, विलम्बित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के बदले किसी भी वस्तु के उपयोग करने के अधिकार का हस्तांतरण समिलित है।

³⁷ गणना:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	व्यवसायियों के नाम	अवधि	कटौती का दावा राशि	अनुमान्य कटौती	अधिक कटौती	कर
1	मेसर्स मदर इंडिया कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड / 10120984075	2015–16	10,70,32,366	4,18,43,829	6,51,88,537	52,29,131
2	मेसर्स दयानंदन प्रसाद सिन्हा कम्पनी / 10129324057	2015–16	11,31,62,689	5,61,10,782	5,70,51,907	52,84,747
कुल			22,01,95,055	9,79,54,611	12,22,40,444	1,05,13,878

पटना विशेष अंचल में कर-निर्धारण अभिलेखों एवं वार्षिक लेखों के अक्टूबर 2017 में नमूना जाँच लेखापरीक्षा में पता चला कि 143 नमूना जाँचित व्यवसायियों (निबंधित व्यवसायियों की संख्या-898) में से दो व्यवसायियों (स्व-कर निर्धारित) ने वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 121.51 करोड़ का मीटर किराया अपने उपभोक्ताओं से प्राप्त किया। हालाँकि उन्होंने अपने रिटर्नों में मीटर किराया प्राप्तियों को लेखापित नहीं किया था, जो उपरोक्त अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सकल आवर्त्त में सन्तुष्टि करने योग्य था। जिसके फलस्वरूप व्यवसायियों ने किराया प्राप्तियों के आवर्त्त पर कोई मूल्यवर्द्धित कर भुगतान/स्वीकार नहीं किया। कर-निर्धारण प्राधिकारी द्वारा रिटर्नों की संवीक्षा नहीं करने के कारण इसका पता नहीं लगाया गया जिससे ब्याज सहित ₹ 20.98 करोड़³⁸ के कर का कम आरोपण हुआ।

इसे इंगित किये जाने के बाद, पटना विशेष अंचल के वाणिज्य-कर उपायुक्त ने नवम्बर 2017 एवं जनवरी 2018 के बीच इन मामलों को स्वीकार किया तथा अद्यतन ब्याज के साथ ₹ 21.36 करोड़ का माँग सृजित एवं वसूली किया (अप्रैल 2019)।

विभाग को मामला प्रतिवेदित (जुलाई-नवम्बर 2018) किया गया था; उनका जवाब अब तक प्रतीक्षित था (सितम्बर 2019)।

वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समरूप अवलोकनों को इंगित किया गया था जिसमें तंत्र की कमियों तथा व्यवसायियों के रिटर्न के प्रभावी संवीक्षा कर चार व्यवसायियों से ₹ 5.74 करोड़ के विद्युत मीटर के किराया प्रभाव पर कर का कम आरोपण का पता लगाने में कर-निर्धारण प्राधिकारियों की विफलता को रेखांकित किया गया था। हालाँकि, चूक/अनियमितताओं की पुनरावृत्ति जारी हैं।

2.10 स्वीकृत कर एवं ब्याज का भुगतान नहीं/कम किया जाना

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने स्वीकृत कर के भुगतान कम/विलंब से किये जाने का पता लगाने हेतु रिटर्नों का संवीक्षा नहीं किया, फलस्वरूप ₹ 20.15 करोड़ के कर की कम वसूली एवं ₹ 1.57 करोड़ के ब्याज का आरोपण नहीं हुआ।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 उपबंधित करता है की प्रत्येक व्यवसायी कर का भुगतान आगामी माह के पन्द्रहवें दिन या उसके पहले करेगा, जिसमें विफल रहने पर 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा। कर-निर्धारण प्राधिकारियों को कर एवं ब्याज के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए तिमाही के साथ-साथ वार्षिक रिटर्नों की संवीक्षा करनी थी।

- 36 वाणिज्य कर अंचलों³⁹ में कर-निर्धारण अभिलेखों के मार्च 2016 एवं अक्टूबर 2018 के बीच नमूना जाँच लेखापरीक्षा में पता चला कि 3,132 नमूना जाँचित व्यवसायियों (निबंधित व्यवसायियों की संख्या- 2,01,331) में से 92 व्यवसायियों (स्व-कर निर्धारित) ने वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान उनके वार्षिक रिटर्नों में दर्शाये गये ₹ 314.59 करोड़ के स्वीकृत कर के बदले केवल ₹ 298.43 करोड़ का कर भुगतान किया था। इस प्रकार ₹ 16.16 करोड़

³⁸ गणना:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	व्यवसायियों के नाम	अवधि	मीटर किराया की वसूली	कर	ब्याज	कुल
1	मेसर्स नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लिमिटेड / 10011248088	2015-16	710284699	95888434	27328204	123216638
2	मेसर्स साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लिमिटेड / 10011238081	2015-16	504804646	68148627	18400129	86548756
कुल			1215089345	164037061	45728333	209765394

³⁹ औरंगाबाद, बेगुसराय, बेतिया, भमुआ, भागलपुर, बिहारशरीफ, दानापुर, दरभंगा, फारबिसगंज, गाँधी मैदान, गaya, गोपालगंज, हाजीपुर, जमुई, कदमकुआँ, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, मधेपुरा, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर पूर्व, मुजफ्फरपुर पश्चिम, नवादा, पाटलिपुत्र, पटना मध्य, पटना सिटी पूर्व, पटना उत्तर, पटना दक्षिण, पटना विशेष, पटना पश्चिम, पूर्णिया, रक्सौल, सहरसा, समस्तीपुर, सासाराम, और सिवान।

के स्वीकृत कर का कम भुगतान हुआ था। यद्यपि कर-निर्धारण प्राधिकारियों को रिटर्नों की संवीक्षा करना तथा कर के भुगतान का साक्ष्य देखना एवं तदनुसार व्यवसायियों को नोटिस जारी करना आवश्यक था, परन्तु उनके द्वारा कोई संवीक्षा नहीं की गयी जो कि विभाग में नियंत्रण की कमजोरियों को दर्शाता है। इस प्रकार कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा रिटर्नों की संवीक्षा नहीं किये जाने के कारण ₹ 3.99 करोड़ के आरोप्य ब्याज सहित ₹ 20.15 करोड़ के स्वीकृत कर का कम भुगतान हुआ।

इसे इंगित किये जाने के बाद, कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने जुलाई 2017 एवं जुलाई 2019 के बीच बेतिया, मुजफ्फरपुर पूर्व, पटना सिटी पूर्व, पटना विशेष प्रत्येक के एक व्यवसायी, बिहारशरीफ, दानापुर, कदमकुआँ, मुजफ्फरपुर पश्चिम, पाटलिपुत्र, पटना मध्य, पटना दक्षिण अंचलों प्रत्येक के दो व्यवसायियों एवं पटना उत्तर अंचल के पाँच व्यवसायियों के मामले में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा ₹ 5.45 करोड़ का माँग सृजित किया, जिसमें से मुजफ्फरपुर पश्चिम के एक मामले में, दानापुर के दो मामलों में तथा पटना उत्तर अंचल के चार मामलों में कुल ₹ 87.87 लाख की वसूली की गयी। स्वीकृत मामलों में वसूली तथा शेष मामलों में उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2019)।

विभाग को मामला प्रतिवेदित (अक्टूबर 2016—जनवरी 2019) किया गया था; उनका जवाब अब तक प्रतीक्षित है (सितम्बर 2019)।

- पंद्रह वाणिज्य कर अंचलों⁴⁰ में मई 2017 एवं अक्टूबर 2018 के बीच कर-निर्धारण अभिलेखों के नमूना जाँच लेखापरीक्षा में पता चला कि 1,704 नमूना जाँचित व्यवसायियों (निबंधित व्यवसायियों की संख्या— 97,200) में से 33 व्यवसायियों (स्व-कर निर्धारित) ने वर्ष 2015—16 से 2017—18 के दौरान अपने स्वीकृत कर का भुगतान एक से 730 दिनों के विलम्ब से किया था। परन्तु उनके द्वारा इस पर कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया गया यद्यपि ये व्यवसायी ₹ 1.57 करोड़ के ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी थे। कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए विलम्बित भुगतान का पता लगाने के लिए रिटर्नों की समीक्षा नहीं किया और ऐसे विलम्बित भुगतान के लिए ब्याज आरोपित नहीं किया। परिणामस्वरूप ₹ 1.57 करोड़ के ब्याज का आरोपण नहीं हुआ।

इसे इंगित किये जाने के बाद, कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने जनवरी 2018 एवं जून 2019 के बीच गाँधी मैदान एवं पटना सिटी पश्चिम के एक व्यवसायी, सासाराम के दो व्यवसायियों तथा पटना उत्तर एवं पटना विशेष अंचलों प्रत्येक के तीन व्यवसायियों के मामले में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा ₹ 44.45 लाख का माँग सृजित किया, जिसमें से पटना सिटी पश्चिम के एक मामले में, पटना उत्तर एवं पटना विशेष अंचलों के दो मामलों में कुल ₹ 24.30 लाख की वसूली की गयी। स्वीकृत मामलों में वसूली तथा शेष मामलों में जवाब प्रतीक्षित था (सितम्बर 2019)।

विभाग को मामला प्रतिवेदित (सितम्बर 2017—जनवरी 2019) किया गया था; जवाब अब तक प्रतीक्षित था (सितम्बर 2019)।

वर्ष 2011—12 से 2016—17 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इसी तरह के अवलोकनों को इंगित किया गया था जिसमें व्यवसायियों द्वारा इन प्रावधानों का पालन नहीं किया जाना तथा कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा व्यवसायियों के रिटर्नों की प्रभावी संवीक्षा कर 252 मामलों में ₹ 80.79 करोड़ के कर तथा उस पर आरोपित ब्याज का कम भुगतान का पता नहीं लगा पाने की उनकी विफलता को रेखांकित किया गया था। हालाँकि, छूट/अनियमितताएँ बनी रहीं, जो यह दर्शाता है कि विभाग ने इनकी पुनरावृत्ति एवं राजस्व के रिसाव को रोकने के लिए सुधारात्मक उपाय नहीं किया।

⁴⁰ आरा, भभुआ, बिहारशरीफ, गाँधी मैदान, गया, हाजीपुर, मधेपुरा, मोतिहारी, पटना मध्य, पटना सिटी पश्चिम, पटना उत्तर, पटना विशेष, सहरसा, समस्तीपुर और सासाराम।

ख: प्रवेश कर

2.11 प्रवेश कर का आरोपण नहीं/कम किया जाना

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 3.43 करोड़ के प्रवेश कर का नहीं/कम आरोपण का पता लगाने के लिए व्यवसायियों के रिटर्नों की संवीक्षा नहीं किया।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005, तथा बिहार प्रवेश कर अधिनियम, 1993, कर-निर्धारण प्राधिकारियों को यह शक्ति प्रदान करता है कि वे किसी भी कारण जैसे, छिपाव, त्रुटि, प्रकट नहीं करना इत्यादि, से छूटे हुए आवर्त्त पर भुगतेय कर के अलावा, भुगतेय कर के तीन गुणा के समतुल्य अर्थदण्ड एवं ब्याज आरोपित करें। उपरोक्त अधिनियम पुनः यह प्रावधित करता है कि कर-निर्धारण प्राधिकारी, बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 25(1)(क) से (छ) तक के तहत प्रावधित छह जाँच सूची के अनुसार, तिमाही एवं वार्षिक रिटर्नों की संवीक्षा करें।

सात वाणिज्य कर अंचलों⁴¹ में फरवरी 2016 एवं फरवरी 2018 के बीच कर-निर्धारण अभिलेखों के नमूना जाँच लेखापरीक्षा में पता चला कि 941 नमूना जाँचित व्यवसायियों (निबंधित व्यवसायियों की संख्या— 46,425) में से नौ व्यवसायियों (स्व-कर निर्धारित) ने वर्ष 2013–14 से 2015–16 के दौरान ₹ 79.21 करोड़ के अनुसूचित वस्तुओं का आयात किया जिस पर ₹ 4.21 करोड़ प्रवेश कर भुगतेय था। हालाँकि, उन्होंने केवल ₹ 78.38 लाख का प्रवेश कर स्वीकृत/भुगतान किया। कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 3.43 करोड़ के प्रवेश कर के कम आरोपण का पता लगाने के लिए इन व्यवसायियों के रिटर्नों की संवीक्षा नहीं किया।

इसे इंगित किये जाने के बाद, कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने अगस्त 2017 एवं अप्रैल 2019 के बीच मुजफ्फरपुर पश्चिम, पटना सिटी पूर्व एवं पाटलिपुत्र अंचल प्रत्येक के एक व्यवसायी के मामले में, लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा ₹ 2.91 करोड़ का माँग सृजित किया, जिसमें से पटना सिटी पूर्व अंचल के एक मामले में ₹ 4.32 लाख की वसूली की गयी। स्वीकृत मामलों में वसूली तथा शेष मामलों में उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2019)।

विभाग को मामला प्रतिवेदित (अप्रैल 2017–नवम्बर 2018) किया गया था; जवाब अब तक प्रतीक्षित था (सितम्बर 2019)।

वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इसी तरह के अवलोकनों को इंगित किया गया था जिसमें व्यवसायियों द्वारा इन प्रावधानों का पालन नहीं किया जाना तथा कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा व्यवसायियों के रिटर्नों की प्रभावी संवीक्षा कर 17 मामलों में ₹ 931.24 करोड़ के कर के अवनिर्धारण का पता नहीं लगा पाने की उनकी विफलता को रेखांकित किया गया था। हालाँकि, चूक/अनियमितताएँ होना बना रहा, जो दर्शाता है कि विभाग ने इनकी पुनरावृत्ति तथा राजस्व के रिसाव को रोकने के लिए सुधारात्मक उपाय नहीं किया।

2.12 स्वीकृत प्रवेश कर एवं ब्याज का भुगतान कम/नहीं किया जाना

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने स्वीकृत प्रवेश कर के भुगतान कम/विलंब से किये जाने का पता लगाने हेतु व्यवसायियों के रिटर्नों का संवीक्षा नहीं किया फलस्वरूप ₹ 1.33 करोड़ के प्रवेश कर की कम वसूली एवं ₹ 3.44 करोड़ के ब्याज का आरोपण नहीं हुआ।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005, तथा बिहार प्रवेश कर अधिनियम, 1993, उपबंधित करता है की प्रत्येक व्यवसायी कर का भुगतान आगामी माह के पन्द्रहवें दिन या उसके पहले करेगा, जिसमें विफल रहने पर 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज का भुगतान करने हेतु दायी होगा। कर-निर्धारण प्राधिकारियों को कर एवं ब्याज के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए तिमाही के साथ-साथ वार्षिक रिटर्नों की संवीक्षा करनी थी।

⁴¹ हाजीपुर, मुजफ्फरपुर पश्चिम, पाटलिपुत्र, पटना सिटी पूर्व, पटना दक्षिण, सहरसा और सासाराम।

- दो वाणिज्य कर अंचलों⁴² में नवम्बर 2017 एवं जनवरी 2018 के बीच कर-निर्धारण अभिलेखों के नमूना जाँच लेखापरीक्षा में पता चला कि 243 नमूना जाँचित व्यवसायियों (निबंधित व्यवसायियों की संख्या— 11,578) में से दो व्यवसायियों (स्व-कर निर्धारित) ने वर्ष 2015–16 के दौरान उनके रिटर्नों में दर्शाये गये ₹ 472.77 करोड़ के वस्तुओं के आयात पर ₹ 27.78 करोड़ के प्रवेश कर की देयता को स्वीकार किया, परन्तु वास्तव में उन्होंने केवल ₹ 26.76 करोड़ के प्रवेश कर का भुगतान किया था। रिटर्नों की संवीक्षा करने का विहित समय सीमा के बीत जाने के बाद भी, उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कर निर्धारण प्राधिकारियों ने उनके रिटर्नों में स्वीकृत प्रवेश कर के कम भुगतान का पता लगाने के लिए व्यवसायियों के रिटर्नों की संवीक्षा नहीं किया। इस प्रकार कर-निर्धारण प्राधिकारियों की प्रवेश कर के कम भुगतान का पता लगाने में विफलता के कारण आरोप्य ब्याज सहित ₹ 1.33 करोड़ के स्वीकृत प्रवेश कर का कम वसूली हुआ।

इसे इंगित किये जाने के बाद, कर-निर्धारण प्राधिकारी ने अगस्त 2018 में पटना विशेष अंचल के एक व्यवसायी के मामले लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा ₹ 65.96 लाख का माँग सुजित किया, जबकि शेष संबंधित कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने नवम्बर 2017 एवं जनवरी 2018 के बीच बताया कि मामलों की जाँच की जायेगी। स्वीकृत मामलों में वसूली तथा शेष मामलों में उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2019)।

विभाग को मामला प्रतिवेदित (जुलाई–नवम्बर 2018) किया गया था; जवाब अब तक प्रतीक्षित था (सितम्बर 2019)।

- नौ वाणिज्य कर अंचलों⁴³ में जून 2017 एवं फरवरी 2018 के बीच कर-निर्धारण अभिलेखों के नमूना जाँच लेखापरीक्षा में पता चला कि 1,281 नमूना जाँचित व्यवसायियों (निबंधित व्यवसायियों की संख्या— 46,738) में से 15 व्यवसायियों (स्व-कर निर्धारित) ने वर्ष 2015–16 के दौरान अपने स्वीकृत प्रवेश कर का भुगतान दो से 522 दिनों के विलम्ब से किया था। परन्तु उनके द्वारा इस पर कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया गया यद्यपि ये व्यवसायी ₹ 3.44 करोड़ के ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी थे। कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन करते हुए विलम्बित भुगतान का पता लगाने के लिए व्यवसायियों के रिटर्नों का संवीक्षा नहीं किया इसलिए कर के ऐसे विलम्बित भुगतान के लिए ब्याज आरोपित नहीं किया। जिसके फलस्वरूप ₹ 3.44 करोड़ के ब्याज का आरोपण नहीं हुआ।

इसे इंगित किये जाने के बाद, कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने फरवरी 2018 एवं अप्रैल 2019 के बीच छपरा के एक व्यवसायी, पाटलिपुत्र के दो व्यवसायियों एवं पटना विशेष अंचल के पाँच व्यवसायियों के मामले में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा ₹ 2.12 करोड़ का माँग सुजित किया, जिसमें से पटना विशेष अंचल के एक मामले में ₹ 2.62 लाख की वसूली की गयी। शेष कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने जुलाई 2017 एवं फरवरी 2018 के बीच बताया कि मामलों की जाँच की जायेगी। स्वीकृत मामलों में वसूली तथा शेष मामलों में उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2019)।

विभाग को मामला प्रतिवेदित (नवम्बर 2017–नवम्बर 2018) किया गया था; जवाब अब तक प्रतीक्षित था (सितम्बर 2019)।

वर्ष 2011–12 से 2016–17 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इसी तरह के अवलोकनों को इंगित किया गया था जिसमें व्यवसायियों द्वारा इन प्रावधानों का पालन नहीं किया जाना तथा कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा व्यवसायियों के रिटर्नों की प्रभावी संवीक्षा कर 40 मामलों में ₹ 240.77 करोड़ के कर तथा ब्याज का कम/नहीं भुगतान का पता नहीं लगा पाने की उनकी विफलता को रेखांकित किया गया था। हालाँकि, चूक/अनियमितताएँ होना निरंतर बना रहा, जो यह दर्शाता है कि विभाग ने इनकी पुनरावृत्ति एवं राजस्व के रिसाव को रोकने के लिए सुधारात्मक उपाय नहीं किया।

⁴² पटना विशेष और पटना दक्षिण।

⁴³ छपरा, गाँधी मैदान, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर पश्चिम, पाटलिपुत्र, पटना मध्य, पटना विशेष, पूर्णिया और सहरसा।

ख : विद्युत शुल्क

2.13 विद्युत शुल्क का कम आरोपण

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने वितरक फ्रेंचाइजियों को ₹ 277.30 करोड़ के विद्युत ऊर्जा के बिक्री पर ₹ 16.64 करोड़ के आरोप्य शुल्क के विरुद्ध केवल ₹ 12.21 करोड़ के विद्युत शुल्क का आरोपण किया, जिससे ₹ 4.43 करोड़ के विद्युत शुल्क की कम वसूली हुई।

बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 की धारा 3(1) एवं धारा 4, या तो यूनिटों की संख्या या खपत किये गए या बिक्री किये गये उर्जा के मूल्य पर, राज्य सरकार को विहित दरों पर विद्युत शुल्क के आरोपण एवं भुगतान हेतु प्रावधान करता है। पुनः बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 की धारा 6ग(1) प्रावधित करता है कि यदि विहित प्राधिकारी संतुष्ट हो जाते हैं कि यह विश्वास करने का ठोस कारण मौजूद है कि किसी निर्धारिती का कोई यूनिट कर निर्धारण से वंचित रह गया है अथवा उर्जा की कोई यूनिट का अवनिर्धारण हुआ है तब विहित प्राधिकारी, उर्जा की छूटे यूनिटों हेतु निर्धारिती का पुनर्कर्ननिर्धारण करेंगे।

पटना विशेष वाणिज्य कर अंचल में अक्टूबर 2018 में कर-निर्धारण अभिलेखों के नमूना जाँच लेखापरीक्षा में पता चला कि एक लाइसेंसी मेसर्स साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड जो कि विद्युत के वितरण के काम में लगा हुआ था, ने वर्ष 2015–16 के अपने वार्षिक रिटर्न में केवल ₹ 117.02 करोड़ का विद्युत शुल्क की देयता प्रकट किया। यद्यपि वार्षिक लेखों एवं अन्य संबंधित अभिलेखों के जाँच में यह पाया गया कि ₹ 3,202.37 करोड़ के उर्जा प्रभार पर लाइसेंसी का विद्युत शुल्क के भुगतान की देयता ₹ 117.22 करोड़ थी, जिसमें वितरक फ्रेन्चाइजियों को बिक्री किये गये ₹ 277.30 करोड़ का उर्जा प्रभार शामिल था। कर निर्धारण आदेश के संवीक्षा पर लेखापरीक्षा ने पाया की कर-निर्धारण प्राधिकारी ने अगस्त 2018 में कर-निर्धारण करते समय वितरक फ्रेन्चाइजियों को किये गये ₹ 277.30 करोड़ के उर्जा के बिक्री पर केवल ₹ 12.21 करोड़ के विद्युत शुल्क का आरोपण किया। परन्तु वास्तव में वितरक फ्रेन्चाइजियों को बिक्री किये गये ₹ 277.30 करोड़ के विद्युत उर्जा पर छह प्रतिशत की दर से ₹ 16.64 करोड़ विद्युत शुल्क आरोप्य था। इस प्रकार कर-निर्धारण प्राधिकारी के यथोचित सावधानी के अभाव के फलस्वरूप ₹ 4.43 करोड़ के विद्युत शुल्क का कम आरोपण हुआ।

इसे इंगित किये जाने के बाद, कर-निर्धारण प्राधिकारी ने अक्टूबर 2018 में कहा कि मामले की जाँच की जायेगी एवं कानून के प्रावधान के अनुसार उचित आदेश पारित किया जायेगा। हमें मामले में आगामी उत्तर की प्रतीक्षा है (सितम्बर 2019)।

विभाग को मामला प्रतिवेदित (अक्टूबर 2018–नवम्बर 2018) किया गया था; जवाब अब तक प्रतीक्षित था (सितम्बर 2019)।

वर्ष 2015–16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इसी तरह के अवलोकनों को इंगित किया गया था जिसमें एक मामले में कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा व्यवसायियों के रिटर्नों की प्रभावी संवीक्षा कर ₹ 70.55 लाख के विद्युत शुल्क के कम आरोपण का पता नहीं लगा पाने की उनकी विफलता को रेखांकित किया गया था। हालाँकि, चूकों/अनियमितताओं की पुनरावृत्ति जारी है।

बताई गई त्रुटियाँ/चूकें नमूना लेखापरीक्षा आधारित हैं। इसलिए, विभाग/सरकार सभी इकाइयों का यह जाँच करने के लिए कि क्या समान त्रुटियाँ/चूकें अन्य जगह भी घटित हुई हैं, अगर हाँ, तो उसे सुधारने तथा एक प्रणाली, जो इस तरह के त्रुटियों/चूकों को रोक सके, को स्थापित करने के लिए व्यापक पुनरीक्षण कर सकती है।